कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग,गोण्डा।

पत्रॉक- 1579 /33-1, दिनॉक, गोण्डा, दिसम्बर 05 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0,
गोण्डा।

विषयः- जनपद गोण्डा के अन्तर्गत बी0पी0सी0एल0 द्वारा गोण्डा-बलरामपुर मार्ग (एस0एच0-1ए) के कि0मी0 सं0-167 (चैनेज सं0-166.925) के मध्य बांयी पटरी पर गाटा सं0-415 व 416 ग्राम कर्मडीह बेलवा तहसील व जिला गोण्डा में नये रिटेल आउटलेटे स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.214959 हे0 संरक्षित वनभूमि बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः- आपका पत्रांक 1357/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/अप्रोच/121728/2021 दिनांक 25.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण के क्रम में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है, जो निम्नवत् हैः-

क्र0 सं0	आपत्तिया	उत्तरालेख
1	ऑनलाइन में अपलोड किया गया वन संरक्षक का पत्र ओपन नहीं हो रहा है।	वन संरक्षक महोदय का पत्र ओपन हो रहा है।
2	ऑनलाइन पार्ट-2 के एडिशनल इन्फार्मेशन डिटेल के क्रमांक 7 में उल्लिखित एन0पी0वी0 कलकूलेशन में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना को अपलोड किया गया है। अतः इसे डिलीट कर एन0पी0वी0 की गणना एवं दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना को अलग अलग अपलोड करें।	संशोधित एन0पी0वी0 कलकूलेशन एवं दण्डात्मक एन0पी0वी0 अलग अलग अपलोड कर दिया गया है।
3	ऑनलाइन पार्ट-2 के एडिशनल इन्फार्मेशन डिटेल के क्रमांक 11 में उल्लेखित पैनल केस बी0पी0सी0एल0 में त्रुटिपूर्ण दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना को डिलीट नहीं किया गया है। अतः इसे डिलीट कर संशोधित दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना को अपलोड करें।	त्रुटिपूर्ण दण्डात्मक एन0पी0वी0 डिलीट कर संशोधित दण्डात्मक एन0पी0वी0 गणना अपलोड कर दिया गया है।
4	ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड 430 पौधों के प्राक्कलन में 62 वृक्षों को बाधक बताया गया है, जबकि विषयगत प्रकरण बिना वृक्ष पातन का है तथा प्राक्कलन में मजदूरी दर 201 लिया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः वर्तमान मजदूरी दर के अनुसार संशोधित प्राक्कलन ऑन लाइन पार्ट 2 के क्रमांक 13(ii) में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन ऑनलाइन पार्ट-2 एडिशनल इन्फार्मेशन डिटेल से डिलीट करें।	संशोधित प्राक्कलन अपलोड कर दिया गया है।
5	ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड प्रभागीय वनाधिकारी के संस्तुति के हिन्दी भाग-2 में उपरोक्तानुसार संशोधित सी0ए0 की धनराशि अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।	सी0ए0 की संशोधित धनराशि अंकित कर अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

vfc1277

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

पत्रॉक– 1191 /33–1, दिनॉक, गोण्डा, अक्टूबर 26 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन पाटन वृत्त,
उ0प्र0, गोण्डा।

विषयः– जनपद गोण्डा के अन्तर्गत भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गोण्डा–वलरामपुर मार्ग एस0एच0–1ए के कि0मी0 सं0–167 (चैनेज सं0–166.925) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0–415 व 416 ग्राम करमडीह बेलवा, तहसील व जिला गोण्डा में प्रस्तावित नये रिटेल–आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.214959 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्वन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/240/2022/एफ0सी0/430 दिनांक 13.08.2022

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विषयगत प्रस्ताव में जो आपत्ति लगायी गयी थी। आपत्ति का निस्तारण कर सूचना आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित है, जो निम्नवत् है।

क्र0 स0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	As per the Google earth imagaries dated 03/2022. Construction activity (soil deposit) is observed in the area proposed for diversion. This needs clarification. If the permission for use of forest land for non-forestry proposes has been granted by the State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and /or 3B of FC Act, as may be applicable, against the authority causing the violation of Forest (Conservation) Act,1980.	प्रयोक्ता एजेसी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम–1980 की धारा–3ए/3बी एफ0सी0 एक्ट के उल्लंघन के तहत विधिक कार्यवाही करते हुए प्रयोक्ता एजेंसी से प्रतिकर रू0–1,50,000/– वसूल कर केस प्रशमित किया जा चुका है।

प्रभागीय वनाधिकरी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

vfc1250

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग,गोण्डा।
पत्रांक 77 /12–1, दिनांक, जूलाई 07 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

विषयः– जनपद गोण्डा में गोण्डा–बलरामपुर मार्ग एस0एच0–1ए के कि0मी0–167 (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बायी पटरी पर गाटा सं0–415 व 416 ग्राम कर्मडीह बेलवा तहसील व जिला गोण्डा में प्रस्तातवित बी0पी0सी0एल0 द्वारा रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयगत प्रकरण के क्रम में बी0पी0सी0एल0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रस्तुत विषयांकित प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

V. fc

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग,गोंडा।

S.f. Gonda
14/7/22

vfc854

Scanned with CamScanner

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0

Bharat Petroleum

द्वारा

गोण्डा जनपद के अन्तर्गत

प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक पहुँच मार्ग निर्माण से प्रभावित संरक्षित वन (मार्ग पटरी) पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

वर्ष 2020–21

वन प्रभाग, गोण्डा

Scanned with CamScanner

जनपद गोण्डा में गोण्डा–बलरामपुर मार्ग एस0एच0–1ए के कि0मी0–167 चैनेज संख्या–166.925 के मध्य बायी पटरी पर गाटा संख्या–415 व 416 ग्राम कर्मडीह बेलवा तहसील व जिला गोण्डा (उ0प्र0) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के क्रम में।

विषय सूची

संलग्नको की सूची

कमॉक	विवरण	पेंज संख्या
1	ऑनलाइन फार्म–ए भाग–1	01-05
2	रूल–6 भाग–1	06-07
3	ऑनलाइन भाग–2	08-10
4	टाइम लाइन	11
5	भाग–2, 3, 4, 5	12-16
6	स्टीमेट पेट्रोल पम्प	17
7	उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–7314/14–3–1980/82 वन अनुभाग–3 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित मानक शर्तें	18-19
8	प्रभागीय वनाधिकारी का साइड इंसपेक्शन रिपोर्ट	20
9	स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	21
10	एन0पी0वी0 मूल्य का आकलन	22
11	एरिया कल्कूलेशन शीट व लैण्ड शेडयूल	23-32
12	प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का 1:50000 स्केल पर सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट	33
13	प्रस्तावित (हस्तान्तरित संरक्षित वन भूमि) का जियो रिफरेन्श मैप	34
14	ले–आउट प्लान	35-36
15	जिले का मैप	37
16	प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ एवं E.T.T. प्रमाण पत्र	38, 39
17	जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र	40-46
18	कार्य न प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र	47
19	संरक्षित वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र	48
20	वन्य जीव विहार/सेन्चुरी न होने का प्रमाण पत्र	49
21	वन स्वरूप क्षेत्र का प्रमाण पत्र	50
22	प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	51, 52
23	क्षतिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र	53, 54, 55, 56
24	परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों परिवारों एंव जनसंख्या का विवरण पत्र	57
25	गैर वन भूमि पर मलबा उत्सर्जन प्रमाण पत्र	58
26	गजट नोटिफिकेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति	59-60
27	लोक निर्माण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र	61, 62
28	मुख्य अग्निशमन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र	63
29	एल0ओ0आई0	64-68
30	प्रोजेक्ट साइट लोकेशन जस्टीफिकेशन नोट	69
31	ग्राम का नक्शा	70
32	गाटा संख्या का प्रमाण पत्र	71-73
33	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि की उपलब्धता एंव उपयुक्तता प्रमाण पत्र	74
34	उ0प्र0 प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र [illegible]	75, 76, 77, 78
35	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन	79-81
36	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का जियो रिफरेन्श मैप	82
37	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का 1:50000 स्केल पर सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट	83
38	वन एंव पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक एफ0न0–11–268/2014 एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 के बिन्दुवार आख्या	84
39	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत उल्लंघन न करने का प्रमाण पत्र	85
40	पावर ऑफ आर्टनी एवं प्रमाण पत्र	86-89

Scanned with CamScanner

/

(1)

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-1. Project Details

(i). Proposal No. : FP/UP/Approach/121728/2021

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Gonda-Balrampur Road, (SH-1A) In Km No. 167, (Ch. No.- 166.925, LHS), At Gata No.415&416, Village: - Karmdeeh Belwa, Tehsil: - Gonda, District: Gonda

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Proposed Protected forest land to be diverted for Entry/Exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Gonda-Balrampur Road, (SH-1A) In Km No. 167, (Ch. No.- 166.925, LHS), At Gata No.415&416, Village: - Karmdeeh Belwa, Tehsil: - Gonda, District: Gonda

(iv). State : Uttar Pradesh

(v). Category of the Project : Approach Access

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Non Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 55

(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 0.214959

(ix). Non-Forest Land required for this project(in ha.): 0.1348

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 30

A-2. Details of User Agency

(i). Name : BPCL TERRITORY LUCKNOW

(ii). Address1 : 94 Mahatma Gandhi,Road,Lucknow

(iii). Address2 : NIL

(iv). State : Uttar Pradesh

(v). District : Lucknow

Scanned with CamScanner

(2)

(vi). Pin : 226001

(vii). Landmark : NIL

(viii). Email address : bpclterritorylko@gmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 522-2361043

(x). Fax No. : 522-

(xi). Mobile No. : 8806999699

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Legal status of User Agency : Central PSU

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Suraj

(ii). Middle Name: NIL

(iii). Last Name: Pratap

(iv). Gender: Male

(v). Designation: TM

(vi). Address 1: 94,Mahatma Gandhi,Road,Lucknow

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Uttar Pradesh

(ix). District: Lucknow

(x). Tehsil: Lucknow

(xi). Pin: 226001

(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: bpclterritorylko@gmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 522-2361043

(xv). Fax No.: NIL

Scanned with CamScanner

(xvi). Mobile No.: 8806999699

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: -

B. Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Forest Division Gonda	0.214959	0.1348

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Gonda	0.214959	0.1348

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Karamdeeh Belwa	0.214959	0.1348

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Exit/Entry Approach to Retail Outlet	0.214959	0.1348

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Forest Division Gonda
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 0.214959

Scanned with CamScanner

(ii). : Non Linear

(a). No. of patches : One

Patch wise details		
Patch No.	Area of Patch(in ha.)	Kml File of Patches
1.	0.214959	View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: Map

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: Map

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land:

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment ?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 5

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 700

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildelife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i).Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

Scanned with CamScanner

(5)

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Not Applicable

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ?: Not Applicable

(iii) . Reason for not providing Non-Forest Land: Not Applicable

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		AREA CALCULATION
2		LETTER OF INDENT(LOI)
3		APPROVED LAYOUT PLAN
4		KHATAUNI
5		LAND SECHUDLE
6		FOREST NOTIFICATION
7		MUCK DISPOSAL
8		FIRE NOC
9		POLLUTION NOC
10		PWD NOC
11		UNDERTAKING FOR CA DEPOSIT
12		UNDERTAKING FOR NPV DEPOSIT
13		STANDARD CONDITIONS
14		VAIKALPIK VAN BHOOMI CERTIFICATE
15		UNDERTAKING FOR VANYA JEEV VIHAR
16		UNDERTAKING FORNOT START WORK BEFORE APPOVAL

Print page

Scanned with CamScanner

(6)

(देखिए नियम 6)

फार्म 'क'

<u>सरकारों तथा प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म</u>

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1–परियोजना विवरण–

(i)अपेक्षित वन भूमि कें लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण:–	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला –गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति।
(ii)–1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है।
(iii)–परियोजना की लागत:–	रू0–55 लाख अनुमानित।
(iv)–वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	आवागमन हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण।
(v)–लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	लागू नही।
(vi)–रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	नियमित रूप से 5 और 700 अस्थायी श्रमदिवस
2–कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :–	0.214959 हे0
3–परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है:–	Suraj Pratap 02/02/21 Territory Manager (Retail)-Lucknow Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(7)

(i) परिवारों की संख्या (ii)अनूसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	नही। नही। नही।
4–क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है, (हॉ/नही)	नही।
5–प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की (वचनबद्धता संलग्न की जाए) :–	संलग्न है।
6–निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा:	संलग्न है।

तिथि 02/02/21

स्थान.– ....

Suraj Pratap

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि०
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

TimeLine Details

Proposal received date at each stage of flow.

A. General Details

(i). Proposal No. : FP/UP/Approach/121728/2021

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Gonda-Balrampur Road, (SH-1A) In Km No. 167, (Ch. No - 166.925, LHS), At Gata No 415&416, Village -Karmdeeh Belwa, Tehsil - Gonda, District Gonda

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Proposed Protected forest land to be diverted for Entry Exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Gonda-Balrampur Road, (SH-1A) In Km No. 167, (Ch. No - 166.925, LHS), At Gata No 415&416, Village -Karmdeeh Belwa, Tehsil - Gonda, District Gonda

(iv). State : Uttar Pradesh

(v). Category of the Project : Approach Access

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Non Linear

(viii). Area of forest land proposed for diversion(in ha.): 0.214959

B. Time Line

Proposal No.	Submitted by User Agency	Query for Shortcoming(if any) by Nodal Officer	Resubmission of Proposal by User Agency	Query by Nodal Officer for submitting Hard Copies	Uploading(by U.A.) of copies of receipt received from DFO & DC	Division	Circle	Nodal Office	State Government	Regional Office	Stage-I Approval on	Stage-II Approval on
FP/UP/Approach/121726/2021	05/02/2021	aa		09/02/2021	09/02/2021	Forest Division Gonda 15/02/2021	Devipatan Circle Gonda 08/07/2022 (Forest Division Gonda)					

C. Essential Details Sought History

Communication between Regional Office & State Government	Communication between State Government & Nodal Officer	Communication between Nodal Officer & Circle	Communication between Circle & Division	Communication between Division & User Agency
			Query raised by Circle (Devipatan Circle Gonda) on:**11/07/2022** Replied by DFO (Forest Division Gonda) on:**13/07/2022**	

NOTE:- Proposal is pending at CF.

Scanned with CamScanner

भाग–2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7	परियोजना / स्कीम का स्थान	जनपद गोण्डा में गोण्डा–बलरामपुर मार्ग एस0एच0–1ए के कि0मी0 167 (चेनेज संख्या–166.925) के मध्य बायी पटरी पर गाटा संख्या–415 व 416 पर स्थित ग्राम कर्मडीह बेलवा तहसील व जिला गोण्डा (उ0प्र0) में प्रस्तावित बी0पी0सी0एल0 द्वारा रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।
	(1) राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	(2) जिला	बलरामपुर
	(3) वन प्रभाग	गोण्डा
	(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है0 में0)	0.214959
	(5) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
	(6) हरियाली का घनत्व	0.3
	(7) प्रजाति वार (विज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परगणना (संलग्न की जाय) सिचाई / जलीय परियोजना के सम्बन्ध में आर0एल0एफ0 आर0एल0–2 मी0 पर परगणना और एक आर0एल0–4 मी0 पर संलग्न की जायै	शून्य
	(8) भू क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संम्बेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नहीं है।
	(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	शून्य
	(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण, जैव मंडल रिजर्व, बाघ, रिजर्व हाथी कोरी डोर आदि का भाग है। यादि हॉ तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियॉ अनुबन्धित की जाय।	नहीं
	(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जगत की दुर्लभ / संकटापन / विशिष्ट प्रजातियॉ पायी जाती है यदि हॉ तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
	(12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थ्ल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण –पत्र के साथ अपेक्षित हो दें।	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नही तो जॉचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	हॉ
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है / नहीं / यदि हॉ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लघन सम्बन्धी कार्य भी चल रहा है।	उल्लंघन हुआ है, सूचना संलग्न है।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर	कुआना रेंज ढोगही बीट क0सं0–6

	क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार	
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	–
	(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियां सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	–
	(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	7,37,218 (सात लाख सैंतीस हजार दो सौ अट्ठारह रुपये मात्र)
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित्त क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वार हस्ताक्षरित किया जाय)	क्षेत्र उपयुक्त है। प्रमाण-पत्र संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपरोक्त कालम-7 (11, 12) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
	(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4448.00 वर्गमी0 (444800.00 हे0)
	(2) जिले का वन क्षेत्र	11702.233 हे0
	(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	32 मामले (145.3042 हे0)
	(4) 1980 से जिला/ प्रभाग मे निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	93.910 हे0 (वन व वनेत्तर)
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	54.468 हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	39.442 हे0
	(5) वर्तमान तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी	–
	(क) वन भूमि पर	42.468 हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	36.730 हे0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	परियोजना महत्वपूर्ण है जनता के हित में प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा (उ0प्र0)

भाग–iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। — नहीं

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। — सहमत

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। — जनहित में कार्य आवश्यक है। अतः संस्तुति की जाती है।

दिनाँक– ....

स्थान– ....

हस्ताक्षर (signature)

नाम– (डा० अनिरुद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक

सरकारी मुहर देवीपाटन वृत्त गोण्डा

Scanned with CamScanner

15

भाग–iv

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणयों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

हस्ताक्षर

दिनॉक–..........................

नाम–

स्थान– ....

सरकारी मोहर

Scanned with CamScanner

(16)

भाग–V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18– राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्णियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर

दिनॉक–.........................

नाम–

स्थान– ....

सरकारी मोहर

Scanned with CamScanner

(17)

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED

ESTIMATE
(ONLY FOR ADMINISTRATIVE APPROVAL)

Bharat Petroleum

(LUCKNOW RETAIL TERRITORY)

NAME OF WORK : CONSTRUCTION OF NEW RETAIL OUTLET ON GONDA-BALRAMPUR ROAD, (SH-1A) IN KM NO. 167, (CH. NO.- 166.925, LHS), AT GATA NO. – 415 & 416, VILLAGE: - KARMDEEH BELWA, TEHSIL: - GONDA, DISTRICT: - GONDA					**ENGG/KSK/ATTA** **Date:**
CLASS OF MARKET :-					**55 LACS**
Sl. No.	**DESCRIPTION OF WORK**	**QTY.**	**UNIT**	**RATE**	**AMOUNT**
1.0	LED Light Fitting 80w Ref. HO/ENG/RET/YLLED Dt. 12.02.2016 for yard light.	8	EACH	257242.85	**2057942.80**
1.1	Yard light pole including foundation(Rate Analysis attached)	8	LS	325745.85	**2605966.80**
SUB TOTAL					**4663909.60**
2.0	STATUTORY FEES	0	JOB		
SUB TOTAL					
Sum of all subtotals in Construction (B)					**4663909.60**
Add Consultancy / Supervision Charges		0	JOB	25000.00	
Add Contingency Charges @ 5% (Construction)					**233195.48**
Total Construction					**4897105.08**
TOTAL OF MATERIAL COST (A)					**602895.00**
TOTAL OF CONSTRUCTION COST (B)					**4897105.08**
GRAND TOTAL (A+B)					**5500000.08**
Round off (in Lacs)					**55.00**

Suraj Prakash

02/02/24

(Territory Manager)
Retail
Lucknow Retail Territory
Bharat Petroleum Corporation Limited

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Notes: 1. Estimate is prepared o based on Concept note Ref. KSK/G-1SA/Gonda/15-16 Dated 18.04.2016
2. The rate for light poles including foundation is as per attached rate analysis.
3. As per confirmation by Mgr(RS) LKSODO, the cost of boundry wall and land filling has not been taken into the estimate as same is in the scope of dealer

Scanned with CamScanner

(18)

<u>उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-1980/82 वन अनुभाग-3, दिनॉक-31-12-1984 द्वारा निर्धारित मानक शर्ते</u>

1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भॉति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।

3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

4- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मॉगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5- हस्तान्तरित विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।

6- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में कराये तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।

7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं अन्य वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9- सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी।

11- सडक निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट" तय होते समय स्थानीय वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण"/लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा, तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608/सी दिनॉक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण"/लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जायेगा, अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर-बदल कर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना सम्बन्धित विभाग के खर्चे से पर्याप्त न हो और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

12– वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13– वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निरतारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रकिया जो वन विभाग उचित समझें द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निरतारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों को बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14– हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन कार्य निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15– वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा कर उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16– यदि नहर आदि निर्माण में भू–क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से करेगा।

17– उक्त लिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ठ प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18– वन भूमि का वास्तविक स्थानान्तरण तभी किया जायेगा। जब उक्त शर्तो का पालन कर दिया जाये अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो।

मैं Suraj Pratap, Territory Manager (Retail), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी (उत्तर प्रदेश) प्रमाणित करता हूँ कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 को उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्ते मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा

Suraj Pratap
02/02/21

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

SITE INSPECTION REPORT NCT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this from.B.P.C.L.....for diversion under (FCA-1980) of.0.214959.hect. Of forest land non-forestry propose. The Project envisage the use of forest land construction of.Approach Road..widening. The site inspection of the land involved in the proposal has done.......——.........by me in dated....28/06/2022

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Protect forest measuring.0.214959hect. The requirement of forest land as proposed by the under agency in col. 2 part-1 is unavailable and is breast minimum required for the project.

Weather any rare/endangered/unique species of Flora and Funna found in the area if. So the details there of......Nil........ whether any protect archeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area, if so the details there of with NOC from competent authority, if required:-

(a) The user agency has not violated the provisions, of forest (Conversion) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction (No).

(b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conversion) Act, 980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapert-1 para- C handbook of forest (Conversion) Act. 1980 is attached (Yes).

Specifie recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place: Gonda

Dated: 14/11/2024

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा (उ0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

(91)

स्थल संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रभागीय निदेशक वन प्रभाग, गोण्डा के तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ टैरीटॅरी (रिटेल) द्वारा स्थल संयुक्त निरीक्षण दिनाँक 28.6.22 को किया गया। प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रभावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल (गोण्डा वन प्रभाग में–0.214959 हे0) है।

प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि की माँग न्यूनतम है तथा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

Suraj Pratap

प्रभागीय निदेशक
वन प्रभाग, गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना

जनपद गोण्डा में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वन प्रभाग गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के कि0मी0 सं0–167, (चैनेज संख्या–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर गाटा सं0–415 व 416 ग्राम करमडीह बेलवा, तहसील व जिला गोण्डा में प्रस्तावित किए गये रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग में आवागमन में प्रभावित 0.214959 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणनाः–

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के क्रम में भारत सरकार की पत्र सं0–11–42/2017/एफ0सी0 दिनांक 19.01.2018 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–एफ0एन0–5–3/2007(एफ0सी0 डिवीजन) दिनांक 05.02.2009 में संशोधित पत्र संख्या–एफ0एन0–5–3/2011, एफ0सी0 (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 व दिनांक 19.01.2022 द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 रेट के अनुसार गणना

एन0पी0वी0 की गणनाः– =0.214959 x 9,57,780 = **205883.43**

दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना 2021 से 2024 तकः–

=205883.43 x 4 = **823533.72**

4 वर्ष का ब्याजः– $= \frac{823533.72 \times 4 \times 12}{100} = 395296.19$

कुल दण्डात्मक एन0पी0वी0ः– =823533.72+395296.19= **1218829.91**

=**1218830.00**

प्रभागीय वनाधिकारी,
गोण्डा वन प्रभाग,
गोण्डा (उ0प्र0)

(२३)

भूमि विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वन प्रभाग गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि का विवरण।

क.सं.	स्थापना स्थल का नाम	प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0)	वन भूमि का प्रकार
1	गोण्डा–बलरामपुर रोड, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा	0.214959 हे0	संरक्षित वन भूमि

Suraj Pratap
02/02/21

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा
प्रभागीय निदेशक
वन प्रभाग, गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

प्रस्तावित वन भूमि का लैण्ड शेड्यूल

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वन प्रभाग गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि का विवरण।

1	प्रवेश व निकासी मार्ग	प्रवेश मार्ग 422.625 वर्ग मी0 + प्रवेश मार्ग अर्दन शोल्डर 174.993 वर्ग मी0 + निकासी मार्ग 578.157 वर्ग मी0 + निकासी मार्ग अर्दन शोल्डर 248.788 वर्ग मी0 = 1424.563 वर्ग मी0	0.1424563 हे0
2	प्रवेश व निकासी के मध्य भाग का क्षेत्रफल	= 725.027 वर्ग मी0	0.725027 हे0
		कुल प्रभावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल	0.214959 हे0

प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय निदेशक
वन प्रभाग, गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सुआना गंज

Suraj Pratap 02/02/21

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटेरी

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(25)

प्रभावित क्षेत्र का वन भूमि घोषित होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रभावित भूमि संरक्षित वन भूमि है।

Suraj Pratap 02/02/21

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(26)

AREA CALCULATION SHEET AS PER APPROVED LAYOUT PLAN

PROPOSED PROTECTED FOREST LAND TO BE DIVERTED FOR ENTRY/EXIT APPROACH TO BPCL RETAIL OUTLET ON GONDA-BALRAMPUR ROAD, (SH-1A) IN KM NO. 167, (CH. NO.- 166.925, LHS), AT GATA NO. – 415 & 416, VILLAGE: - KARMDEEH BELWA, TEHSIL: - GONDA, DISTRICT: - GONDA (U.P.)

Entry Area approach to Retail Outlet

= AA1A2 + A1A2A3A4 + A3A4A5 + A3A5B6 + B5B6A5 + B3B5B6 + B3B4B5 + B1B3B4 + B1B2B4 + BB1B2

= {1/2 x (30.0mx 5.5m)} + (32.516m x 5.5m) + {1/2 x (7.484m x 5.5m)+ {1/2 x (5.74294m x 7.5m) + {1/2 x (7.8562m x 4.2m)} + {1/2 x (8.59308m x 2.6m)} + {1/2 x (9.09546m x 4.4m)} + {1/2 x (9.31258m x 3.5m)} + {1/2 x (11.16937m x 4.7m)} + {1/2 x (11.13308m x 5.2m)}

= 82.5 SqM + 178.838 SqM + 20.581 SqM + 21.536 SqM + 16.498 SqM + 11.171 SqM + 20.01 SqM + 16.297 SqM + 26.248 SqM + 28.946 SqM

= 422.625 SqM

Area of Earthen Shoulder along Entry approach to Retail Outlet

= AA2G1G + G1G2A3A2 + B1A3G2

= (30.0m x 2.5m) + (32.516m x 2.5m) + {1/2 x (14.9624m x 2.5m)}

= 75.0 SqM + 81.29 SqM + 18.703 SqM

= 174.993 SqM

Area in Between Entry & Exit (Separator)

= A1FB + B C E F + D1EC

= [(51.5m x 17.86m) - {3.14 x (51.5m x 17.86m)/4}] + (12.0m x 17.86m) + [(81.5m x 17.86m) – {3.14 x (81.5m x 17.86m)/4}]

= 197.755 SqM + 214.32 SqM + 312.952 SqM

= 725.027 SqM

Area of Exit approach from Retail Outlet

= DD1D2 + D1D2D3D4 + D3D4D5 + D3D5C4 + C3C4D5 + C1C3C4 + C1C2C3 + CC1C2

= {1/2 x (30.0m x 5.5m)} + (62.79819m x 5.5m)} + {1/2 x (7.20182m x 5.5m)} + {1/2 x (5.31028m x 7.4m)} + {1/2 x (6.20217m x 8.3m)} + {1/2 x (5.02745m x 9.4m)} + {1/2 x (6.46843m x 11.02m)} + {1/2 x (10.98086m x 4.7m)}

= 82.5 SqM + 345.39 SqM + 19.805 SqM + 19.648 SqM + 25.739 SqM + 23.629 SqM + 35.641 SqM + 25.805 SqM

= 578.157 SqM

Suraj Prakash 02/02/21

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(47)

Area of Earthen Shoulder along Exit approach from Retail Outlet

= DD2H1H + H1H2D3D2 + C1H2D3

= (30.0m x 2.5m) + (62.798m x 2.5m) + {1/2 x (13.4344m x 2.5m)}

= 75.0 SqM + 156.995 SqM + 16.793 SqM

= 248.788 SqM

Total Protected Forest Area Proposed to be Diverted

= 422.625 (Entry Area) SqM + 174.993 (Entry Earthen shoulder) SqM + 725.027 (Separator) SqM + 578.157 (Exit Area) SqM + 248.788 (Exit Earthen shoulder) SqM

= 2149.59 SqM

= 0.214959 Ha.

Total Area of Non Forest Land/Private Land as per Layout Plan

= Non-Forest land area calculation =

= area of rectangle shape plot = {length (m) x width (m)}

= (35.0m x 38.5m) = 1347.5 SqM

≈ 0.1348 Ha

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
श्रावस्ती वन प्रभाग
श्रावस्ती

Suraj Pratap
02/02/21

(Authorised Signatory)

Bharat Petroleum Corporation Limited
Lucknow Retail Territory
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

78

AREA CALCULATION SHEET AS PER APPROVED LAYOUT PLAN

PROPOSED PROTECTED FOREST LAND TO BE DIVERTED FOR ENTRY/EXIT APPROACH TO BPCL RETAIL OUTLET ON GONDA-BALRAMPUR ROAD, (SH-1A) IN KM NO. 167, (CH. NO.-166.925, LHS), AT GATA NO. – 415 & 416, VILLAGE: - KARMDEEH BELWA, TEHSIL: - GONDA, DISTRICT: - GONDA (U.P.)

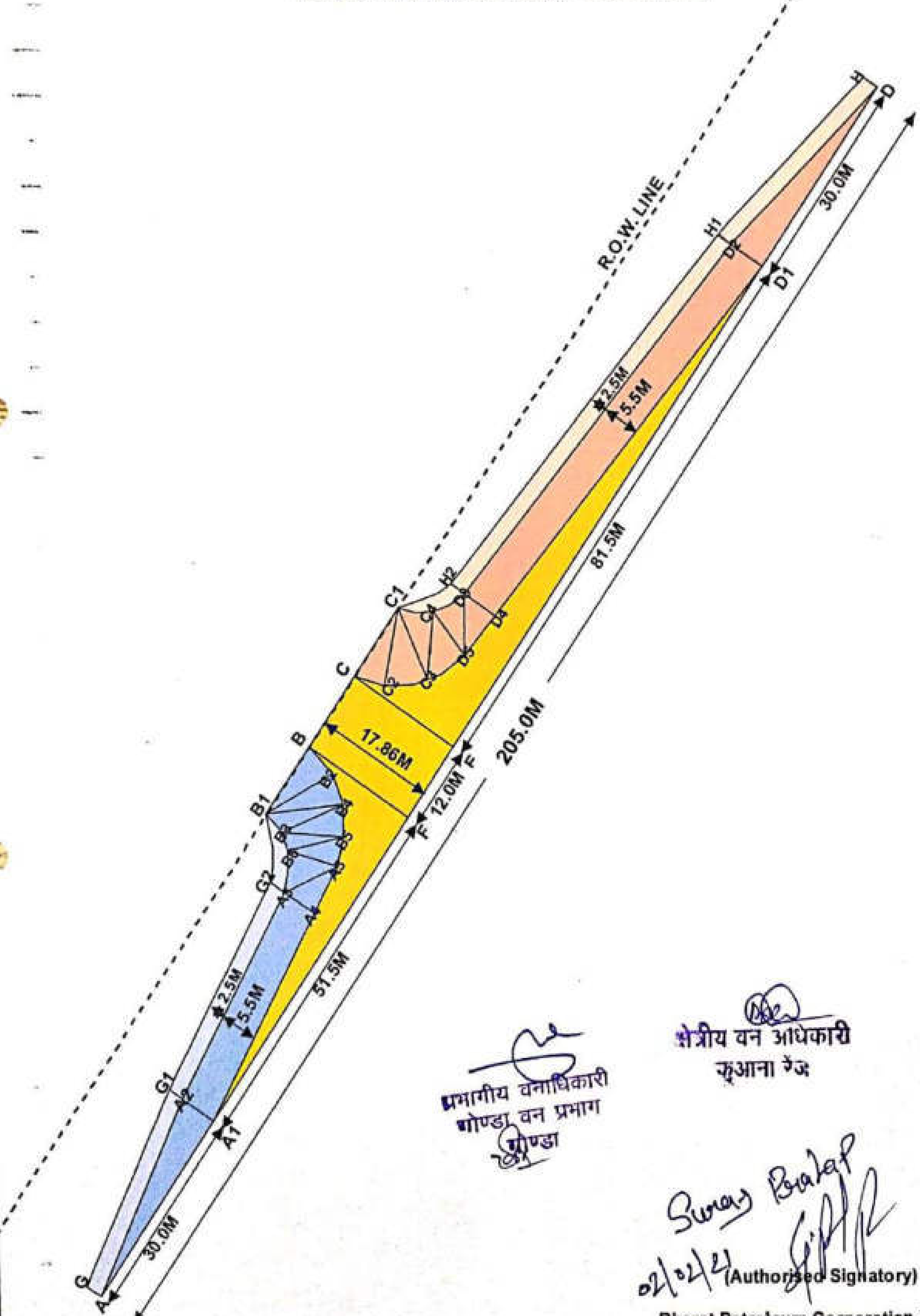

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

02/02/21

(Authorised Signatory)

Bharat Petroleum Corporation Limited
Lucknow Retail Territory

Territory Manager, Retail-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(२९)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनॉक–18–03–2010 में उल्लिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु पहुँच मार्ग निर्माण प्रस्तावित है। गैर वानिकी कार्य की अनुमति पत्र जारी होने के पश्चात् पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग निर्माण कार्य करते समय भारत सरकार के पत्र दिनॉक–18–03–2010 द्वारा जारी बिन्दुवार दिशा निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा।

Suraj Pratap
02/02/21

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी

Scanned with CamScanner

(30)

योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की संस्तुतियों के मान्य होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वन प्रभाग गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की संस्तुतियों (जो भी मान्य हों), प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य होंगी।

Suraj Pratap
02/02/21

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

प्रभागीय निदेशक
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, गोण्डा भाग
गोण्डा (उ0प्र0)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुआना रेंज

Scanned with CamScanner

(31)

एप्रोच रोड, सेप्रेटर आइस लैण्ड तथा अन्य खाली स्थान पर वृक्षारोपण किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना के पश्चात् एप्रोच रोड सेप्रेटर आइस लैण्ड तथा अन्य खाली पर प्रयोक्ता/संस्था द्वारा उपयुक्त प्रजातियों का वृक्षारोपण एवं उसका अनुरक्षण किया जायेगा।

Suraj Bahal
02/02/21

प्रभागीय निदेशक
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, गोण्डा
गोण्डा (उ0प्र0)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(32)

प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के आवागमन के किनारे खाली स्थानो पर वृक्षारोपण सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वन प्रभाग गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के आवागमन के किनारे खाली स्थानो पर वृक्षारोपण हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 वचनबद्ध है।

Suraj Pratap
02/02/21

प्रभागीय निदेशक
वन प्रभाग, गोण्डा
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग
गोण्डा (उ0प्र0)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

GEOREFERENCED MAP OF PROPOSED PROTECTED FOREST LAND TO BE DIVERTED FOR ENTRY/EXIT APPROACH TO BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED RETAIL OUTLET ON GONDA - BALRAMPUR ROAD, (SH-1A) IN KM NO. 167, (CH. NO.- 166.925, LHS), AT GATA NO. – 415 & 416, VILLAGE: - KARMDEEH BELWA, TEHSIL: - GONDA, DISTRICT: - GONDA (UTTAR PRADESH).

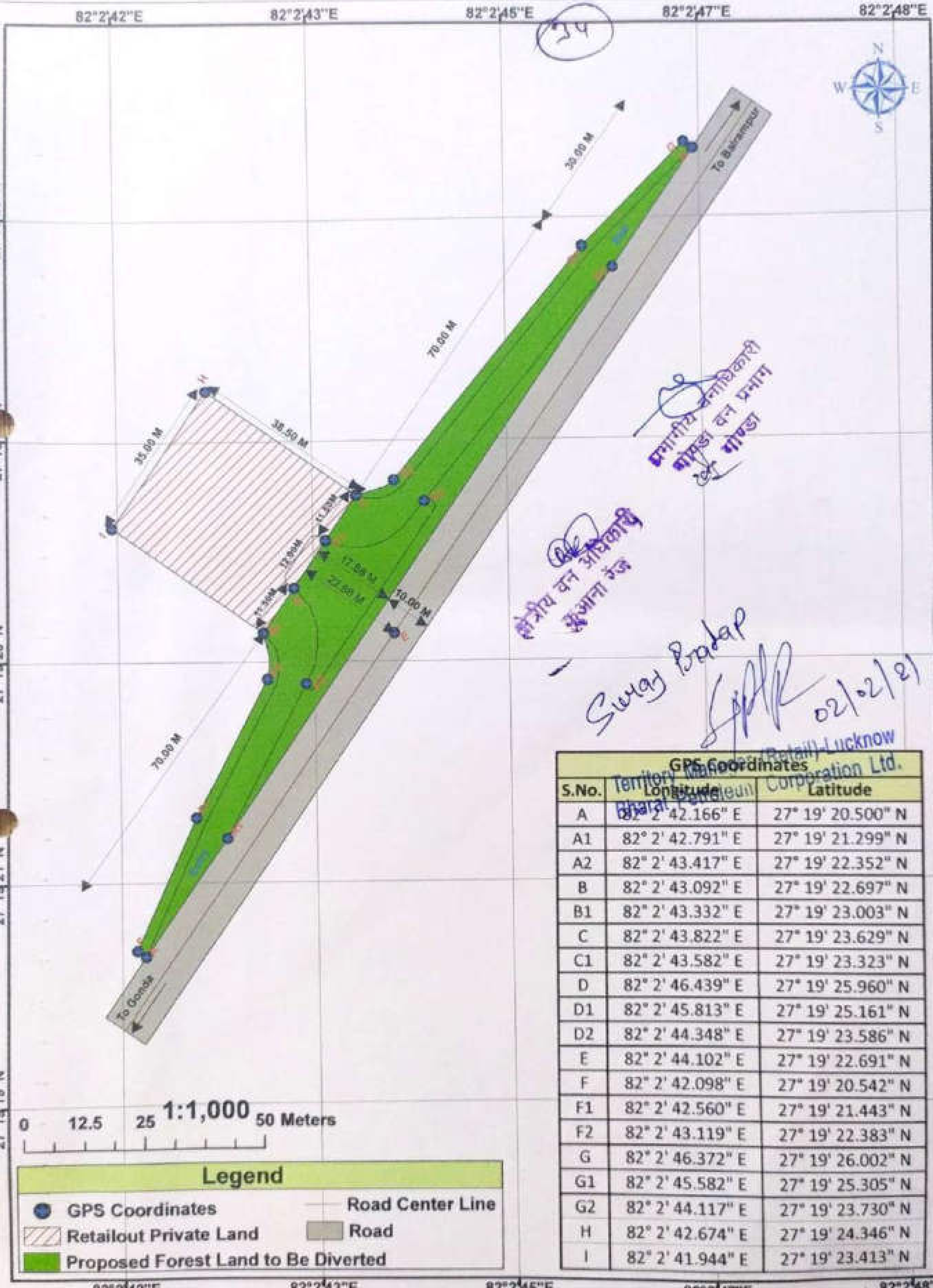

GPS Coordinates		
S.No.	Longitude	Latitude
A	82° 2' 42.166" E	27° 19' 20.500" N
A1	82° 2' 42.791" E	27° 19' 21.299" N
A2	82° 2' 43.417" E	27° 19' 22.352" N
B	82° 2' 43.092" E	27° 19' 22.697" N
B1	82° 2' 43.332" E	27° 19' 23.003" N
C	82° 2' 43.822" E	27° 19' 23.629" N
C1	82° 2' 43.582" E	27° 19' 23.323" N
D	82° 2' 46.439" E	27° 19' 25.960" N
D1	82° 2' 45.813" E	27° 19' 25.161" N
D2	82° 2' 44.348" E	27° 19' 23.586" N
E	82° 2' 44.102" E	27° 19' 22.691" N
F	82° 2' 42.098" E	27° 19' 20.542" N
F1	82° 2' 42.560" E	27° 19' 21.443" N
F2	82° 2' 43.119" E	27° 19' 22.383" N
G	82° 2' 46.372" E	27° 19' 26.002" N
G1	82° 2' 45.582" E	27° 19' 25.305" N
G2	82° 2' 44.117" E	27° 19' 23.730" N
H	82° 2' 42.674" E	27° 19' 24.346" N
I	82° 2' 41.944" E	27° 19' 23.413" N

Territory Manager (Retail) Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Suraj Badal 02/02/21

Scanned with CamScanner

(35)

वनभूमि की गणना अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0** द्वारा वन प्रभाग **गोण्डा** के अर्न्तागत **गोण्डा–बलरामपुर** रोड, (एस0एच0–1ए) के **किमी0 सं0**–167, (**चैनेज सं0**–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, **गाटा सं0**–415 व 416, **ग्राम**–करमडीह बेलवा, **तहसील**–गोण्डा, **जिला**–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली **0.214959 हे0** संरक्षित वन भूमि की गणना निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा के द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही की गयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
प्रभागीय निदेशक
वन प्रभाग, गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

Suraj Pratap
02/02/21
(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

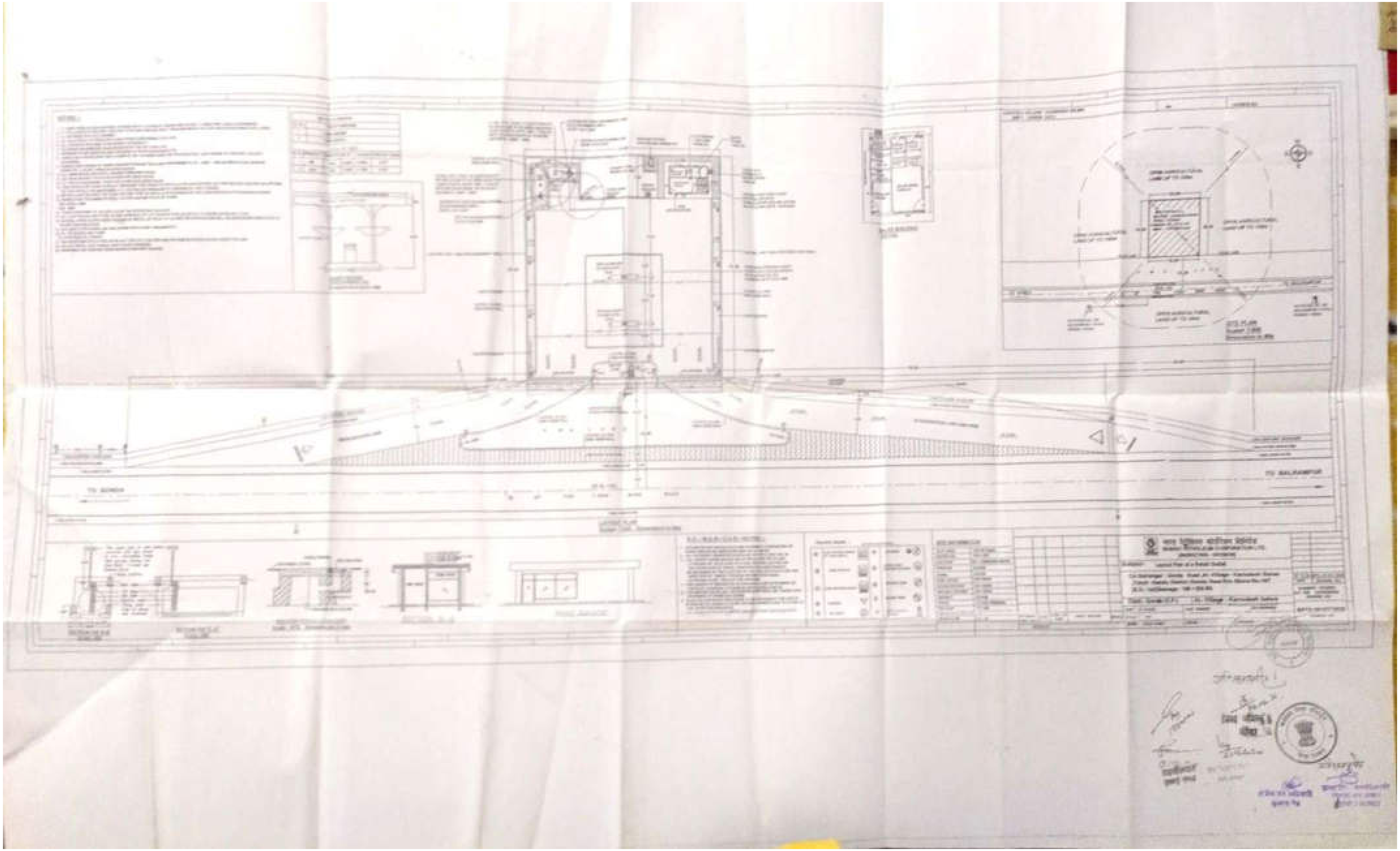

Scanned with CamScanner

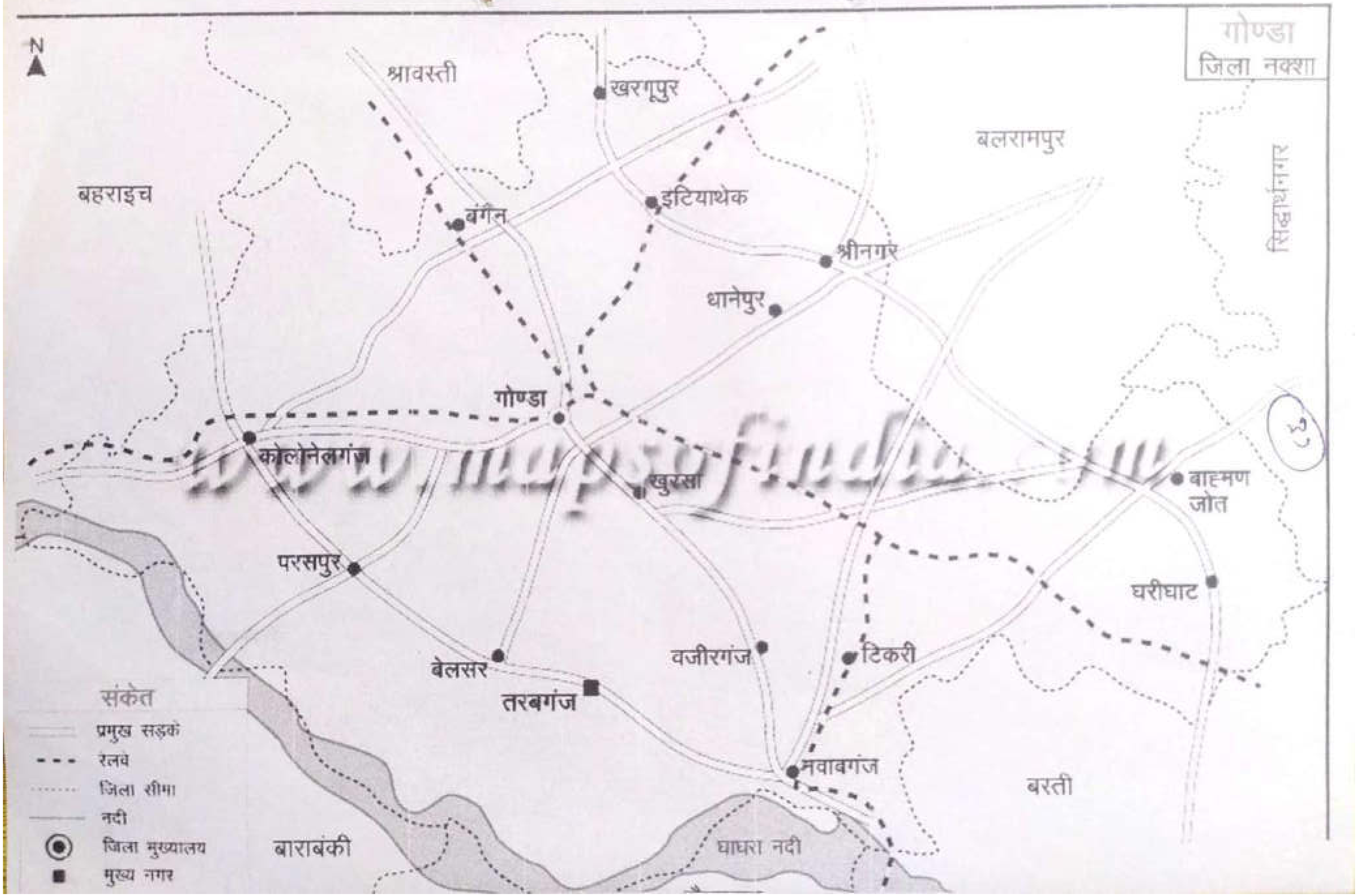

Scanned with CamScanner

(38)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक– द्वितीय / यू0पी0 / 1149 / आर0ओ0सी0 / 2020 / एफ0सी0, दिनॉक–13–01–2012 में उल्लिखित बिन्दु सं0–02 व 03 से सम्बन्धित सूचना

प्रस्तावक विभाग **भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0** द्वारा **गोण्डा–बलरामपुर** रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, **गाटा सं0**–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, **तहसील**–गोण्डा, **जिला**–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प / रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु पहुँच मार्ग निर्माण में कुल ......X........ वृक्ष बाधक है। प्रस्तावित स्थल का छायाचित्र निम्नानुसार है:–

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय निदेशक
वन प्रभाग, गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

Suraj Pratap
02/02/21
(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टेरीटरी
Territory Manager (Retail) Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

39

Entire Tree Transplant (ETT) हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0** द्वारा वन प्रभाग, **गोण्डा** के अन्तर्गत **गोण्डा–बलरामपुर** रोड, (**एस0एच0–1ए**) के **किमी0 सं0**–167, (**चैनेज सं0**–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, **गाटा सं0**–415 व 416, **ग्राम**–करमडीह बेलवा, **तहसील**–गोण्डा, **जिला**–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु **भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0** Entire Tree Transplant (ETT) मान्य हेतु वचनबद्धता देता है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा (उ0प्र0)

अजय सी0 रूगे / Ajay C Ruge
Territory Manager (Retail) Gonda
Bharat Petroleum Corporation Limited

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
गोण्डा रिटेल टैरीटेंरी

Scanned with CamScanner

(40)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
Office of the District Collector Gonda

Letter No. **29** /J.A.(NOC)/2020 Dated: June 22,2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest and Climate change (MOEF & CC), Government of India's letter No. 11-09/98/FC(pt.) dated 28th October 2014, it is certified that 0.214959 ha. of protected forest land proposed to be diverted in favour of Bharat Petroleum Corporation Ltd. Lucknow Retail Territory for Entry/Exit approach to BPCL Retail Outlet on Gonda-Balrampur Road (SH-1A) In Km. No. 167 (Ch. 166.925 LHS) at Gata No. 415 & 416, Village Karmdeeh Belwa, Tehsil Gonda, District Gonda (U.P.)

It is further certified that the forest land proposed to be diverted is Protected Forest which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of September 2005 and is located in the Village Karmdeeh Belwa, Tehsil Gonda, District Gonda, having no recorded population of Scheduled Tribes, Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities as per the Census 2001 & 2011.

Divisional Forest Officer,
Forest Division, Gonda

22.06.21
District Collector,
Gonda

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट
गोण्डा (उ०प्र०)

Scanned with CamScanner

(41)

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट गोण्डा

संख्याः 29 /जे0ए0 (अना0-प्रमाण-पत्र)/2020 दिनांकः फरवरी 03,2021

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

टेरीटरी मैनेजर (रिटेल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के पत्र संख्या-टीटी.आरईटी.लखनऊ, दिनांक 28.10.2019 द्वारा बलरामपुर-गोण्डा-करनैलगंज मार्ग स्थित ग्राम कर्मडीह बेलवा, परगनाः तहसील व जिला गोण्डा में स्थित गाटा संख्या-415 व 416 के आंशिक भाग पर संलग्न ले-आउट प्लान के अनुसार न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक गोण्डा, उप जिला मजिस्ट्रेट गोण्डा सदर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोण्डा, प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा, वन प्रभाग गोण्डा, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल गोण्डा, मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग गोण्डा तथा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या के स्थलीय सत्यापनोपरान्त प्रस्तुत आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने में जिला प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है।

1.प्रस्तावित पेट्रोल पम्प जनपद गोण्डा में गोण्डा-बलरामपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-1ए) के किमी-167, चैनेज-166.925 पर सड़क के मध्य भाग से बायीं ओर स्थित ग्राम कर्मडीह बेलवा, परगना तहसील व जिला गोण्डा की गाटा संख्या-415 व 416 के आंशिक भाग में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है।

2.मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से बायीं ओर 22.86 मीटर (75 फिट) की दूरी अथवा लोक निर्माण विभाग की स्थायी भूमि, जो भी अधिक हो तक कोई भी निर्माण कार्य न कराया जाय एवं उसके बाद ही प्रस्तावित रिटेल आउटलेट केन्द्र स्थापित किया जाय।

3.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी का पटाव एवं सर्विस रोड़ आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 सेमी नीचा करना होगा, जिससे मार्ग की लेपित सतह पर जल भराव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 02 प्रतिशत का स्लोप रहना चाहिए।

4.रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.60 मीटर पक्की ड्रेन बनायी जाय तथा उसे लोहे की गेटिंग से ढका जाय ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।

5.सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुंचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन.पी.-3 ह्यूम पाईप/आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।

6.Deceleration & Acceleration lanes का निर्माण कार्य पेट्रोल/डीजल पम्प स्वामी स्वयं की भूमि पर करेगा।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट

Scanned with CamScanner

7.प्रस्तावित स्थल पर भू–स्वामित्व, सहखातेदारी, अंश निर्धारण या कब्जेदारी अथवा किरायेदारी सम्बन्धी यदि कोई विवाद आता है अथवा मामला न्यायालय में जाता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। प्रस्तावित स्थल पर निर्विवादित एवं विधिक अध्यासन होने पर ही नक्शा एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा।

8.इन एवं एक्जिट हेतु साईन बोर्ड इस प्रकार लगाये जाये कि वाहनों को स्पष्ट दिखायी दें।

9.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू0पी0 रोड सा0ले0क0 एक्ट, 1945 के अन्तर्गत निहित शर्तों का भी पालन करना होगा।

10.भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, गोण्डा द्वारा ब्लू प्रिन्ट/मानचित्र पर अंकित किये गये प्रतिबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।

11.जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो पम्प मालिक द्वारा लो0नि0वि0 को भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।

12.लो0नि0वि0 की स्थायी भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।

13.निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।

14.लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 19.01.2021 के अनुसार अन्तिम अनापत्ति, ऑयल कम्पनी द्वारा अनुमोदित ड्राइंग एवं सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर 06 माह के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन करने पर 30 दिन के अन्दर प्रदान की जा सकेगी। एक वर्ष तक प्रस्तावित निर्माण कार्य न होने पर पेट्रोल पम्प स्वामी को पुनः अनुमति लेनी होगी। उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर रिटेल आउटलेट की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी।

15.मानचित्र पर अंकित कतिपय प्रतिबंधों एवं उपरोक्त सभी अथवा एक भी निर्देश एवं एम.ओ.एस.टी. के पत्रांक–आर.डब्लू./एन.एच./33023/19/99–डी.ओ.–III दिनांक 24.07.2013 तथा The Uttar Pradesh guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads 2019" एन0ओ0सी0 नवीन गाईडलाइन्स U.P.P.W.D. Road.2019 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबंधों का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और विभाग किसी भी प्रकार की हानि आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा विभाग के विरूद्ध कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता है।

16.प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो.नि.वि., लखनऊ के पत्र संख्या–17974 एम. टी./सामान्य वर्ग/60एम.टी./1999, दिनांक 11.12.2019 के माध्यम से प्राप्त शासनादेश संख्या–1882/23–12–19–1365/17 टीसी, दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रख्यापित गाईड लाइन्स "The Uttar Pradesh guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads 2019" में वर्णित प्रतिबंधों के अनुसार 10 साल के पश्चात् पुनः निर्धारित प्रोसेसिंग फीस (रूपया दस हजार मात्र) जमा करने एवं शर्तों का अनुपालन

Scanned with CamScanner

43

करने पर लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जायेगा। शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री अब्दुल हफीज खाँ पुत्र श्री मुनीर खाँ, निवासी ग्राम भरिया लवेदपुर पोस्ट जयप्रभाग्राम, इटियाथोक, जनपद गोण्डा पर बाध्यकारी होगा।

17.एन0बी0सी0 2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में प्राविधानित नियमों के अनुसार निर्माण कराये जायेंगे।

18.विद्युत तथा अन्य उपकरणों के तार धातु की पाइप जो स्पार्क प्रूफ हो, से होकर गुजारे जाय, बिजली के उपकरण के साथ ई0एल0सी0बी0 (अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर) की व्यवस्था होनी चाहिए।

19.पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण तथा अन्य उपकरणों जहां अर्थिंग की आवश्यकता हो तो पेट्रोलियम रूल्स 2002 के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

20.बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड/कन्ज्यूमर यूनिट में एम0सी0बी0 (मेनिमचर सर्किट ब्रेकर) आई0एस0 8828 के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

21.प्रस्तावित स्थल पर निम्न अग्निशमन व्यवस्थाओं को कराया जाना आवश्यक होगा।

(1).ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता–09 कि0ग्रा0 प्रति डिस्पेसिंग प्वाइंट हेतु 02 अदद।

(2).सी0ओ0टू टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता–4.5 किग्रा–02 अदद।

(3).ए0एफ0एफ0एफ0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 अदद।

(4).सैण्डफायर बकेट राउण्ड बाटम टाइप–08 अदद।

(5).बालू का ढेर 100 घनफिट

(6).वाटर जेल ब्लैकिट 01 अदद

(7).धूम्रपान निषेध बोर्ड आवश्यकतानुसार।

(8).आपातकालीन सेवाओं के लिए टेलीफोन नम्बरों की सूची।

22.पेट्रोलियम पदार्थ के समस्त निर्माण कार्य व उपकरण पेट्रोलियम रूल्स 2002 के अनुरूप होनी चाहिए।

23.कोई भी ऐसा पदार्थ या प्रक्रिया जो स्पार्क या आग पैदा करता हो, का भण्डारण स्थल पर ले जाना सर्वथा वर्जित होगा।

24.भण्डारण प्रांगण की सफाई/हाउस कीपिंग उच्च कोटि की होनी चाहिए साथ ही प्रस्तावित स्थल पर अन्य किसी प्रकार के ज्वलनशील वस्तु का भण्डारण सर्वथा वर्जित होगा।

25.भूमि/भवन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से पूर्व अग्निशमन विभाग कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गाटा/खसरा नं0–415 व 416 स्थित ग्राम करमडीह बेलवा, तहसील व जिला गोण्डा पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु अग्निशमन विभाग द्वारा इस शर्त के साथ संस्तुति की गयी है कि रिटेल आउटलेट प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्निशमन विभाग से सत्यापन कराकर सत्यापन प्रमाण–पत्र प्राप्त करना पेट्रोल पम्प स्वामी सुनिश्चित करेंगे।

26.प्रश्नगत रिटेल आउटलेट स्थल गोण्डा–बलरामपुर मार्ग के किमी0 25–26 के मध्य बायी पटरी पर स्थित ग्राम कर्मडीह बेलवा, परगना तहसील व जिला गोण्डा में स्थापित होना प्रस्तावित है। गोण्डा–बलरामपुर मार्ग शासन द्वारा संरक्षित वन

Scanned with CamScanner

घोषित है। रिटेल आउटलेट स्थापना होने पर मार्ग का संरक्षित वन भूमि आवागमन के लिए पेट्रोल पम्प के सामने सड़क पटरी की भूमि 35 मी.ल.×19.36 मी.चौ., संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। मार्ग संरक्षित वन की श्रेणी में होने के कारण इस पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधान लागू हैं। रिटेल आउटलेट स्थापना व आवागमन के लिए पहुंच मार्ग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की बेवसाइट एम.ओ.ई.एफ. पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा आवेदन स्वीकार होने पर हार्डकॉपी 05 प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

27.रिटेल आउटलेट की प्रस्तावित स्थापना स्थल के सामने गोण्डा–बलरामपुर मार्ग के कि0मी0 25–26 के मध्य बायीं पटरी पर वृक्षारोपण 2020 में हरित पट्टी का रोपण कराया गया है, जिसके 62 पौधे प्रभावित हो रहे हैं। पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

28.पेट्रोल पम्प आउटलेट की स्थापना के दौरान आस–पास किसी जीव–जन्तु एवं वनस्पति का नुकसान नहीं किया जायेगा तथा किसी जीव–जन्तु के प्राकृतिक वास को नष्ट नहीं किया जायेगा।

29.पेट्रोल पम्प स्थापित स्थल पर अग्नि शमन की व्यवस्था रखी जाय।

30.पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) की स्थापना के दौरान यदि कोई खनिज पदार्थ निकलता है, तो राज्य सरकार को सूचित किया जायेगा तथा उसका निस्तारण नियमानुसार किया जायेगा।

31.पेट्रोल पम्प स्वामी व उसके परिवार द्वारा पेट्रोल पम्प (न्यू रिटेल आउटलेट) की स्थापना गोण्डा–बलरामपुर मार्ग के किमी0–25–26 के रोड सीमा से बाहर की जाय तथा निकटतम् वन क्षेत्र व अन्य वन क्षेत्र को किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचाया जाय।

32.पेट्रोल पम्प स्थापना के दौरान किसी प्रकार का मलवा उत्सर्ग नहीं किया जायेगा और किसी प्रकार से पर्यावरणीय नुकसान नहीं किया जायेगा। रिटेल आउटलेट स्वामी द्वारा हरियाली बनाये रखने हेतु उचित वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा।

33.वन विभाग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी समय जांच एवं निरीक्षण तथा कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित रहेगा। नियमों के उल्लंघन पाये जाने पर वन संरक्षण अधिनियम व अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

34.प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाये कि आसपास की आबादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

35.पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू–भाग पर वृक्षारोपण किया जाय।

36.पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान–माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित उपकरण अग्निशमन विभाग के गाईडलाइन के अनुसार स्थापित किया जाय तथा आसपास आबादी विकसित होने पर रोक लगायी जाय।

37.पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

38.घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिस्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाय।

39.पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाय।

40.पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाय।

41.पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा हैजाडर्स वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग एण्ड ट्रांस बाउण्ड्री मूवमेन्ट्स), नियम 2008 (यथा संशोधित) तथा मैनुफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट ऑफ हैजाडर्स केमिकल रूल्स, 1989 पब्लिक लाइबिलिटी इन्श्योरेन्स एक्ट, 1991 एवं पेट्रोलियम रूल्स, 2002 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

42.पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा अधिकतम 1×15 किली० (MS) एवं 1×20 किली० (HSD) के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाय।

43.प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाय।

44.पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इण्डीकेटर लगाया जाय।

45.डी०जी० सेट के अतिरिक्त वायु प्रदूषण का कोई अन्य स्रोत प्रस्तावित स्थल पर स्थापित न किया जाय।

46.पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू–प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण–पत्र राज्य बोर्ड को 03 माह के भीतर प्रेषित किया जाय।

47.पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा सभी सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक ऑन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर 06 माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाय।

48.प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाय।

49.पेट्रोल पम्प पर वाहनों की पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाय कि राजमार्ग का सामान्य यातायात बाधित न हो।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को इलेक्ट्रीसिटी रूल्स, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया एन.बी.सी., 2005, एक्सप्लोसिव रूल्स, पेट्रोलियम रूल्स व फायर इस्टिंग्यूशर आईएस, 2190 के मानकों के अनुसार सुरक्षा व अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं उपरोक्तानुसार शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतया पालन किया जाना होगा। भूमि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लिखित खातेदार व भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किये गये प्रत्येक आदेश का अनुपालन करना होगा तथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मा० न्यायालय में विचाराधीन/भविष्य में प्रस्तुत होने वाले किसी भी वाद में पारित प्रत्येक विशिष्ट/अन्तिम निर्णय व आदेश तथा रिटेल आउटलेट की स्थापना व आवागमन के लिए पहुंच मार्ग हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के

Scanned with CamScanner

(46)

गैर वानिकी प्रयोग हेतु सक्षम स्तर से निर्गत होने वाली अनुमति के अधीन होगी। उपरोक्त सभी निर्देशों अथवा एक भी निर्देश एवं एम.ओ.एस.टी. के डाकूमेन्ट्स का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार की हानि आदि के लिए जिला प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा और जिला प्रशासन के विरूद्ध किसी प्रकार का क्लेम नहीं किया जा सकेगा।

(मार्कण्डेय शाही)
जिला मजिस्ट्रेट,
गोण्डा

प्रतिलिपिः– टेरीटरी मैनेजर, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को मानचित्र की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्नकः–मानचित्र।

03.02.21
जिला मजिस्ट्रेट,
गोण्डा।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट गोण्डा (उ०प्र०)

(47)

कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक संरक्षित मार्ग पटरी पर प्रवेश व निकास मार्ग का निर्माण कार्य नही किया गया है। सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

Suraj Pratap 02/02/21

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कूआना रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

वैकल्पिक भूमि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

जनपदः–गोण्डा के अन्तर्गत प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु पहुँच मार्ग से प्रभावित 0.214959 हे0 संरक्षित वन भूमि पर पहुँच मार्ग का निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवागमन हेतु पहुँच मार्ग निर्माण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि के बदले अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है, तथा आवेदित वन भूमि की मॉग न्यूनतम है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा
प्रभागीय निदेशक
वन प्रभाग, गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

Suraj Pratap
02/02/21
(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(49)

वन्य जीव विहार/सेन्चुरी न होने के सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग **भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0** द्वारा गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के **किमी0 सं0–167**, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, **तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा** (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट स्थल से 10 कि0मी0 की परिधि मे कोई वन्य जीव विहार/सेन्चुरी स्थित नही है।

प्रभागीय निदेशक
वन प्रभाग, गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

Suraj Pratap
02.02.21
(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटैरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(50)

प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रॉक–1017/23 कोर्ट केस दिनॉक–11–11–2011 के कम में वांछित सूचना/प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक पहुँच मार्ग निर्माण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी) का क्षेत्रफल 0.214959 है0 के अतिरिक्त अन्य कोई "वन स्वरूप" क्षेत्र चिन्हित नही है।

प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा प्रभागीय निदेशक वन प्रभाग, गोण्डा	क्षेत्रीय वन अधिकारी कुआना रेंज	Suraj Pratap 02/02/21 (प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी Territory Manager (Retail)-Lucknow Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(51)

प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या–एफ0एन0 5–3/2007 (एफ0सी0, डिवीजन) दिनॉक–05–02–2009 व संशोधित पत्र संख्या–एफ0एन0 5–3/2011–एफ0सी0 (Vol-I) दिनॉक–06–01–2022 व दिनॉक–19–01–2022 द्वारा वन भूमि के हस्तान्तारण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) और बढी दरों के अनुसार धनराशि को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई–पोर्टल से उत्पन्न ई–चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।

Suvrat Bhatnap 02/02/21

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

प्रस्तावित वन भूमि के एन0पी0वी0 के संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग निर्माण से प्रभावित 0.214959 है0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु मॉग की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि की दर मे भविष्य मे भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि का भुगतान भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा किया जायेगा।

Suraj Bhatap 02/02/21

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(53)

क्षतिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और क्षतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि के रूप में **भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0** द्वारा उक्त सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य या भारत सरकार या मा0 न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन भी किया जायेगा।

Suraj Pratap
02/02/21

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

Scanned with CamScanner

(54)

प्रतिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता के रूप में **भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन** लि0 द्वारा उक्त सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य या भारत सरकार या मा0 न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन भी किया जायेगा।

Suraj Bhatap
02/02/21

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बभनान रेंज

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(55)

दण्डात्मक वृक्षारोपण हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दण्डात्मक वृक्षारोपण करने तथा उसके अनुरक्षण और दण्डात्मक वृक्षारोपण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि के रूप में **भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0** द्वारा उक्त सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य या भारत सरकार या मा0 न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन भी किया जायेगा।

Suray Prakal
02/02/21

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

वन्य जीवों व पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प / रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए वन्य जीवों व पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 वचनबद्ध है।

Suraj Pratap 02/02/24

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(57)

परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों, परिवारों एवं जनसंख्या का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा वन प्रभाग गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण से आसपास के ग्रामों एवं मार्गों से आने जाने वाली जनसंख्या आदि लाभान्वित होगी।

Subhas Prakash 02/02/21

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा
प्रभागीय निदेशक
वन प्रभाग, गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

58

मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० द्वारा वन प्रभाग गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस०एच०–1ए) के किमी० सं०–167, (चैनेज सं०–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं०–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मक डिस्पोजल योजना के संबंध में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० द्वारा वन प्रभाग गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस०एच०–1ए) के किमी० सं०–167, (चैनेज सं०–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं०–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.214959 हे० संरक्षित वन भूमि में किसी प्रकार का मिटटी खुदान कार्य नहीं किया जायेगा। अतः प्रस्तावित परियोजना हेतु मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य नहीं है।

Disposal/Management Plan

While preparing FCA case, if there is any activity in the project which involves digging of land, muck disposal/management plan has to be prepared.

Should include :-

1.Calculation of muck to be generated self factor has to be applied N.A.

2. Quantity of muck to utilized in the project activities N.A.

3. Balance quantity of muck. Which requires disposal/management plan ? N.A.

4.Carriage of muck from the muck generation site in the dumping site. N.A.

5.Ownership of land and the consent of land owner, in case muck disposal on non forest land. N.A.

6.Photograph & carrying capacity of proposed dumping site (muck disposal site) N.A.

7.Development of dumping site-construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck. N.A.

8.Rehabilitation of dumping site like levelling planting of grass, shrubs and tree species. N.A.

After construction work of approach road will be done

Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Details of dumping site including length, width and height of structures to be exacted must be mentioned.

Undertaking by the user agency has to be given to the effect that :

1- Muck management plan will be implemented by the user agency and in case of non implementation of the plan, they will be liable to penalty/action at their cost.
2- The proposed dumping site is located away from river/stream/nala.

Suraj Pratap 02/02/22

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
प्रभागीय निदेशक
वन प्रभाग, गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि०
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(59)

परिशिष्ट 12.14

वन विभाग

विविध

10 फरवरी, 1960 ई.

सं.1115/14-331-50- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 (ऐक्ट सं. 16, 1927) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन अपेक्षित जांच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारियों को खतरा हो सकता है।

अतएव उपर्युक्त उप धारा के प्रतिबंधक द्वारा और उपर्युक्त ऐक्ट की धारा 80-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्राप्ति अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते है कि इस प्रकार जांच तथा अभिलेख करने तक उक्त ऐक्ट के अध्याय 4 के उपबन्ध संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	नाम सड़क	दूरी मील, फर्लांग और फीटें में	विवरण
39 - बस्ती	1. जी.टी.रोड नेशनल हाइवे	85 मील से 148 मील तक योग 64 मील	भूमि की सीमा पत्थरों द्वारा अंकित की गयी है।
	2. जी.टी.रोड नेशनल हाइवे	मील 89 से 92 बाईपास पूरी लम्बाई 51/2 मील	,,
	3. बस्ती डुमरियागंज बरहनी रोड	मील 5 फ. 3 से मील 55फ50 5/8 मील	,,
	4. खलीलाबाद - मुद्दहाल रोड	मील 1 से 15फ15 मील	,,
	5. खलीलाबाद - नाथनगर मुखलिसपुर रोड	मील 1 से 13 मी. 4 फ.त्र 12 1/2 मील	,,
	6. खलीलाबाद रेलवे फीडर	शून्य से 2 फ. तक	
	7. बस्ती - बांसी रोड	शून्य से 32 मील 2 फ.	
	8. बांसी - नौगढ़ रोड	1 फ. 238 फीट से 9 मील 9 फ. तक	,,
	9. नौगढ़ - शोहरतगढ़	शून्य से 14 मील 2 फ.	,,
	10. शोहरतगढ़ - नेपाल बार्डर रोड	शून्य से 5 मील 4 फ.	,,
	11. नौगढ़ - लुम्बिनी गार्डन्स रोड	शून्य से 16 मील 330 फीट	,,
20 - गोण्डा	1. बहराईच - बलरामपुर रोड	मील 29 से 39 तक	,,
	2. गोण्डा - बलरामपुर रोड	मील 0 से 26 तक	,,
	3. बलरामपुर - तुलसीपुर रोड	मील 0 से 17 तक	,,
	4. बलरामपुर - उतरौला रोड	मील 0 से 17 तक	,,
	5. तुलसीपुर - नेपाल बार्डर रोड	शून्य से 15 तक	,,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

40- गोण्डा	6. बाराबंकी – गोण्डा रोड	मील 24 से मील 55 तक	„
	7. फैजाबाद – बहराईच रोड	मील 8 से मील 55 तक	„
	8. गोण्डा – उतरौला रोड	मील 1 से 32 (2 फ.)	„
	9. नवाबगंज – उतरौला रोड	मील 1 से 37 (7 फ.)	„
	10. गोण्डा – बेलसर रोड	मील 1 से 12 (2 फ.)	„
	11. बहरामघाट – बहराईच रोड	मील 28 से 35 (4 फ.)	„
	12. जरवल टाउन से जरवल रोड, सी.सी.टी.	मील 1 से 4 (3,3/4फ.)	
	13. करनैलगंज – पराजपुर	मील 1 से 9 (6 फ.)	
	14. पारवती खारी थावली रोड, सी.सी.टी.	मील 1 से 5 (2 फ.)	
41-बहराइच	1. फैजाबाद – बहराइच रोड	मील 50 से मील 74 तक	„
	2. पयागपुर रेलवे फीडर रोड	मील0 से 5 फ. 362 फीट तक	„
	3. चिलवरिया रेलवे फीडर माल रोड	मील 0 से 2 फ. 196 फीट तक	„
	4. एप्रोच रोड – मालगोदाम रोड बहराइच	मील 0 से 3 फ. 292 फीट तक	„
	5. बहराइच रेलवे स्टेशन	मील 0 से 3 फ. 292 फीट तक	„
	6. एप्रोच रोड – जज कोर्ट	मील 0 से 1 फ. 857 फीट तक	„
	7. दरगाह रोड	मील 0 से 3 फ. 160 फीट	„
	8. बहराईच – बहरामघाट रोड	1 मील से 27 तक	„
	9. बहराईच – न्योरिया रोड	मील 1 से 15 तक	„
	10. बहराईच – बलरामपुर रोड	मील 3 से 29 तक	„
	11. बहराईच– नानपारा रोड	मील 0 से 20 मील 7 फ. 390 फीट तक	„

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा

Scanned with CamScanner

(61)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।

पत्रांकः–495 दे0क्षे0 / पे0पा03ा0 दे0क्षे0 / 2021 दिनांकः–19/01 / 2021

सेवा में,

जिलाधिकारी
जनपद गोण्डा।

विषयः–गोण्डा–बलरामपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–1ए) के किमी0–167 के चैनेज 166.925 पर सड़क के मध्य भाग से बांयी ओर मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्र संख्या–29 / जे.ए.(अना.प्र.पत्र) / 20 दिनांक–31.10.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा को उनके पत्रांक–4367 / 114काम–गो0वृ0 / 2020 दिनांक 01.01.21 द्वारा गोण्डा–बलरामपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–1ए) के किमी0–167 के चैनेज 166.925 पर सड़क के मध्य भाग से बांयी ओर मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्या / संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों एवं मानचित्र पर अंकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता हैः–

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प गोण्डा–बलरामपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–1ए) के किमी0–167 के चैनेज 166.925 पर सड़क के मध्य भाग से बांयी ओर स्थित ग्राम करमडीह बेलवा, परगना, तहसील व जनपद–गोण्डा में गाटा संख्या–415 एवं 416 के आंशिक भाग में मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है।
2. मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से बांयी ओर 22.86मीटर(75फीट) की दूरी अथवा लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि जो भी अधिक हो तक कोई भी निर्माण कार्य न कराया जाय एवं उसके बाद ही प्रस्तावित रिटेल आउटलेट केन्द्र स्थापित किया जाय।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी का पटाव एवं सर्विस रोड आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 से0मी0 नीचा करना होगा जिसमें मार्ग की लेपित सतह पर जल भराव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 2 प्रतिशत का स्लोप रहना चाहिए।
4. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.60 मीटर आर0सी0सी0 पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की ग्रेटिंग से ढका जाय ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
5. सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुंचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन0पी0–3 ह्यूम पाइप / आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कम्पनी / मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
6. Deceleration & Acceleration lanes का निर्माण पेट्रोल / डीजल पम्प स्वामी स्वंय की भूमि पर करेगा।
7. भू–स्वामित्व की जिम्मेदारी लो0नि0वि0 पर नहीं होगी। भू–स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन सम्बन्धित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। भू–स्वामित्व होने संलग्न किराये नामें की दशा में ही नक्शा एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा। अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा
8. IN & EXIT हेतु साईन बोर्ड इस प्रकार लगाये जाये कि वाहनों को स्पष्ट दिखाई दें।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू0पी0रोड सा0ले0क0एक्ट–1945 के अन्तर्गत निहित शर्तों का भी पालन करना होगा।
10. मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0 गोण्डा द्वारा ब्लू प्रिन्ट / मानचित्र पर अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को भी पालन करना अनिवार्य होगा।

02/02/21
Territory Manager (Retail) Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

P.T.O.

Scanned with CamScanner

(62)

11. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो पम्प मालिक द्वारा लो0नि0वि0 को भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
12. लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नही होगा।
13. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
14. यह एन0ओ0सी0 प्राविजनल है अन्तिम एन0ओ0सी0 ऑयल कम्पनी द्वारा अनुमोदित ड्राइंग एवं सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर 6 माह के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन करने पर 30 दिन के अन्दर प्रदान की जा सकेगी। एक वर्ष तक प्रस्तावित निर्माण कार्य न होने पर पेट्रोल पम्प स्वामी को पुनः अनुमति लेनी होगी। उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर रिटेल आउटलेट की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी।
15. मानचित्र पर अंकित कतिपय प्रतिबन्धों एवं उपरोक्त सभी अथवा एक भी निर्देश एवं एम0ओ0एस0टी0 के पत्रांक आर0डब्लू0 / एन0एच0 / 33023 / 19 / 99–डी0ओ0–III दिनांक 24.07.2013 तथा "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और विभाग किसी भी प्रकार की हानि आदि के लिए उत्तरदायी नही होगा तथा विभाग के विरूद्ध कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता।
16. प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या–17974एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 60 एम0टी0 / 1999 दिनांक 11.12.2019 के माध्यम से प्राप्त शासनादेश सं0 1882 / 23–12–19–1365 / 17टीसी दिनांक 04 दिसम्बर 2019 द्वारा प्रख्यापित गाईड लाईस "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" में वर्णित प्रतिबन्धों अनुसार 10 साल के पश्चात पुनः निर्धारित प्रोसेसिंग फीस (रूपया दस हजार मात्र) जमा करने एवं शर्तो का अनुपालन करने पर लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जायेगा। शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री अब्दुल हफीज खां पुत्र श्री मुनीर खां, निवासी–ग्राम भरिया लबेदपुर, पोस्ट जयप्रभाग्राम, इटियाथोक, जिला–गोण्डा पर बाध्यकारी होगा।
17. विभागीय भूमि में अस्थाई / स्थायी किसी भी तरह का निर्माण नही किया जायेगा एवं उक्त निर्माण कार्य खुला / कृषि क्षेत्र में होना है।
18. नियमानुसार अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, गोण्डा द्वारा लाइसेन्स एवं प्रोसेसिंग फीस का बैंक ड्राफ्ट खण्ड में जमा करा लिया गया है।
19. "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" के ऐपेन्डिक्स–III में वर्णित लाइसेन्स डीड रू0 100 / –(आयल कम्पनी / पेट्रोल पम्प मालिक एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित) क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर ली गयी है।

संलग्नक:– मानचित्र मूल में।

19/01/2021

(अरविन्द कुमार (जैन))
मुख्य अभियन्ता,
देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र
लो0नि0वि0, गोण्डा।

15/01/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा को उनके पत्रांक–4367 / 114काम–गो0वृ0 / 2020 दिनांक 01.01.2021 के सन्दर्भ में।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, गोण्डा।

Suraj Pratap 02/02/21

मुख्य अभियन्ता,
देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र
लो0नि0वि0, गोण्डा।

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोण्डा

पत्रसंख्या–सी0एफ0ओ0/एफ0पी0–पेट्रोलपम्प/एफएस/2020 – C 2197 दिनॉक–नवम्बर 2, 2020

सेवामें

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
गोण्डा ।

विषयः–भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ के पत्र दिनॉक–28–10–2020 के द्वारा खसरा/गाटा संख्या–415 एवं 416, ग्राम, करमडीह बेलवा, परगना, तहसील, व जिला गोण्डा पर रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भः–आपके पत्र संख्या–29/जे0ए0(अना.प्र.पत्र)/20, दिनॉक–31–10–2020 के सन्दर्भ में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक व संदर्भित पत्र के साथ संलग्न पत्र जो कि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 लखनऊ के पत्र दिनॉक–28–10–2020 के द्वारा आवेदक के गाटा/खसरा संख्या–415 एवं 416, ग्राम, करमडीह बेलवा, परगना, तहसील, व जिला गोण्डा पर रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है। प्रस्तावित स्थल का स्थलीय निरीक्षण/परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य पाये गये ।

ढॉचागत संरचना के सम्बन्ध में ।

1–प्रस्तावित स्थल गोण्डा–बलरामपुर रोड पर जनपद–गोण्डा में स्थित है ।
2–प्रस्तावित रिटेल आउटलेट भूमि के उपर से कोई हाई टेंशन लाइन नही गयी है ।
3–कुल भूखण्ड एरिया–1347.50 वर्गमीटर है, ।
4–प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के 100 मीटर की परिधि के अन्दर अति ज्वलनशील पदार्थ का भण्डार वर्तमान में नही है ।

निम्नांकित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं स्थल पर व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व स्थापित कराया जाना व्यवस्थापक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

अग्नि सुरक्षा की वांछनीयताः–

1–एन0बी0सी0 2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में प्राविधानित नियमों के अनुसार निर्माण कराये जायेंगे ।
2–विद्युत तथा अन्य उपकरणों के तार धातु की पाइप जो स्पार्क प्रूफ हो, से होकर गुजारे जाय, बिजली के उपकरण के साथ ई0एल0सी0बी0 अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की व्यवस्था होनी चाहिए ।
3–पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण तथा अन्य उपकरणों जहॉ अर्थिंग की आवश्यकता हो तो पेट्रोलियम रूल्स 2002 के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ।
4–बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड/कन्ज्यूमर यूनिट में एम0सी0बी(मिनिमचर सर्किट ब्रेकर) आई0एस0 8828 के मानको के अनुरूप होनी चाहिए ।
5–प्रस्तावित स्थल पर निम्न अग्निशमन व्यवस्थाओं को कराया जाना आवश्यक होगा ।
(1)ए0बी0सी टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 09 कि0ग्रा0 प्रति डिस्पेंसिंग प्वाइंट हेतु 02 अदद ।
(2)सी0ओ0टू0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 02 अदद ।
(3)ए0एफ0एफ0एफ0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 अदद ।
(4)सैण्ड फायर बकेट राउण्ड बाटम टाइप 08 अदद ।
(5)बालू का ढेर 100 घनफिट ।
(6)वाटर जेल ब्लैंकिट 01 अदद ।
(7)धूम्रपान निषेध बोर्ड आवश्यकतानुसार ।
(8)आपातकालीन सेवाओं के टेलीफोन नम्बरों की सूची ।
6–पेट्रोलियम पदार्थ के समस्त निर्माण कार्य व उपकरण पेट्रोलियम रूल्स 2002 के अनुरूप होनी चाहिए ।
7–कोई भी ऐसा पदार्थ या प्रक्रिया जो स्पार्क या आग पैदा करता हो, का भण्डारण स्थल पर ले जाना सर्वथा वर्जित होगा ।
8–भण्डारण प्रागण की सफाई/हाउस.कीपिंग उच्च कोटि की होनी चाहिए साथ ही प्रस्तावित स्थल पर अन्य किसी प्रकार के ज्वलनशील वस्तु का भण्डारण सर्वथा वर्जित होगा ।
9–प्रस्तावित स्थल के सामने से हाईटेंशन लाइन गुजरी हुई है, भारी वाहनों के ईंधन लेने के लिए आवागमन हेतु रिटेल आउटलेट प्रारम्भ किये जाने से पूर्व ही हाईटेंशन की लाइन उपर कराया जाना आवश्यक होगा ।
10–भूमि/भवन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से पूर्व अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

अतः भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा गाटा/खसरा संख्या–415 एवं 416, ग्राम, करमडीह बेलवा, परगना, तहसील, व जिला गोण्डा पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति आख्या इस शर्त के साथ प्रेषित की जा रही है कि रिटेल आउटलेट प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्निशमन विभाग से सत्यापन कराकर सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे ।

(आर0एस0 त्रिपाठी) 2/11/20
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(आर0 एस0 त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोण्डा

प्रतिलिपिः–

1–स्वामी/प्रबन्धक/व्यवस्थापक को इस आशय से प्रेषित कि वह प्रस्तावित स्थल पर अंकित किया निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन कर अधोहस्ताक्षरी को कार्य व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व निरीक्षण/परीक्षण कराने हेतु ।

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
लखनऊ टेरीटरी (रिटेल) उ०प्र०

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED
(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISES)
Lucknow Territory (Retail) U.P.

LOI GENERAL: CATEGORY "B" TYPE ROS

Ref: LRT.GONDA.LOI.2688.BALRAMPUR

Date: 19.08.2020

To,

Shri Abdul Hafiz Khan
S/o Mohammad Munir Maqsood Khan
Gram Bhariya, Labedpur Balrampur,
Gonda Road
District : Gonda - U.P.-271209
Mobile No: 9172551792
E-Mail Id: khan.abdul999@gmail.com

Dear Sir

Subject: Proposed MS/HSD Retail Outlet Dealership at Location : Between Km Stone no 163 to 167 on Balrampur- Gonda- Colonelganj ROad SH1A (Regular) District – Gonda, State - Uttar Pradesh, Category : Open

We refer to our advertisement dated 25.11.2018 and your application form No. 15454991827983 for the award of MS/HSD Retail Outlet dealership at the above location and the subsequent Bid opening / draw of lot held at Hotel Dayal Paradise, 5 – Vipul Khand, Gomti Nagar Lucknow on 17.06.2019.

Please be informed that by this Letter of Intent, we propose to offer you a Retail outlet dealership of Bharat Petroleum Corporation Limited the above location on the following terms & conditions -

1. You have offered a suitable piece of land admeasuring 35.0 meters approx. (frontage) X 35.0 mtrs (depth) at Gata no.415 & 416 Village – Karmdeeh Belwa, Pargana - Gonda, Tehsil - Gonda, District - Gonda as indicated by you in the application for the development of the subject Retail Outlet. You have to make available this land within 2 months from the date of this letter failing which this offer is liable to be withdrawn.(For Group-1)

2. For making the land available as required above, you will ensure that the land arranged by you is either registered in your name or it should be leased to you for a minimum period of 19 years and 11 months

3. As and when advised by the Corporation, the site offered by you would be duly developed up to the road level by cutting/filling (as applicable) with good earth/murrum, layer-wise compacted as per standard engineering practice. You shall also construct

Territory Manager (Retail) Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd

Scanned with CamScanner

necessary retaining wall and compound wall of 1.5 meters height, designed as per site conditions as per approval of Corporation as committed under Clause 12 (e) of affidavit submitted by you along with application. Kindly note that in case the site as offered by you for putting up the Retail Outlet is not developed as per the advice of the Corporation, this Letter of Intent will be withdrawn without any further notice.

4. You will provide at the Retail Outlet infrastructural facilities like Driveway, Sales Office, Show room, Store, Toilet, Generator, Compressor, with room, electrical connection up to the sales building. Yard lighting, water connection / bore well and staff room as mentioned in the Brochure and after obtaining necessary clearances/approvals/licences as applicable in each case.

5. In addition, you will also provide the following basic facilities at your cost at the Retail Outlet premises:-

   a. Clean drinking water.
   b. Free Air.
   c. Clean toilet.
   d. Telephone.
   e. First aid kit with valid medicines.
   f. Adequate illumination.
   g. PUC facilities, wherever it is mandatory.
   h. Other facilities as may be specified by the Corporation from time to time.

6. Additional facilities (site specific) like Canopy, Service Station or any other facility as may be decided by Bharat Petroleum Corporation Limited from time to time would also be required to be developed by you.

7. Bharat Petroleum Corporation Limited will provide storage tanks and pumps and other facilities considered necessary at the Retail Outlets.

8. For the facilities that may be provided by the Corporation as aforesaid, you will be required to pay license fee as may be decided by the Corporation and applicable to you from time to time. At present, the license fee (incl. GST) recoverable is Rs. 196.51 /KL for MS and Rs. 163.76/KL for HSD.

9. The corporation will not be held liable for any loss or damage on account of delay that may be caused in providing you the facilities mentioned above whatever may be the cause of the failure or delay.

10. You will ensure all financial and other arrangements for operating the retail outlet dealership.
    In case it is found that the funds stated in the application for the purpose of setting up and operation of the dealership are not made available as and when required, this LOI can be withdrawn and you will have no claim/damages whatsoever against the Company.

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(66)

11 You shall not induct any partner(s) in case of individual (s) nor make any changes in the constitution of the partners as existing at the time of application without approval of the Company, except your spouse as per terms and conditions of the Bharat Petroleum Corporation Limited.

12 It will always be a basic condition for the award of MS / HSD retail outlet dealership that you shall be paying attention towards day to day working of the dealership by personally managing the affairs of the dealership you will give us a written undertaking to this effect and shall not assign or part with the same to any other person (s).

You will not be eligible for taking up any employment. If you are already employed you will have to resign from the employment and produce the letter of acceptance of resignation by the employer before the issuance of Letter of Appointment by the Corporation.

13 You will deposit with us a Demand Draft for Rs. 4.50 lakhs drawn on any scheduled bank in favour of Bharat Petroleum Corporation Limited payable at Lucknow towards security Deposit (after setting off the Initial Security Deposit amount) at the time of issuance of appointment letter after compliance of all the requirements of LOI. Kindly note that the Security deposit will not carry any interest and is refundable at the time of expiry of agreement between you and the Corporation. However, if such expiry of agreement is consequent to proven adulteration/malpractice at the dealership, this amount will be forfeited. Moreover, this Corporation reserves its right to adjust this amount towards any dues to it.

14 You will also remit an amount of Rs. 15.0 Lakhs towards Non-refundable fixed fee, by way of a Demand Draft for Rs 15.0 Lakhs drawn on any scheduled bank in favour of Bharat Petroleum Corporation Limited payable at Lucknow within 15 days of receipt of NOC

15 You will be notified by the corporation, in writing, after the facilities mentioned above are made available and are ready for commissioning the dealership. Immediately on receipt of the above notice from the corporation, you shall obtain each and every license necessary for operating your dealership as may be required under any central / state govt / municipal or local authorities for the time being in force.

16 If we find that the progress made by you towards the above is not to our satisfaction, this offer is liable to be withdrawn.

17 Please note that you are required to fulfill the conditions with regard to inducting Spouse as Co-owner in the dealership before issuance of Letter of Appointment.

18 This letter of intent will stand automatically withdrawn and cancelled on the happening of any of the following events:-

a) In case you or any of your family members (as defined under disqualification criteria of dealer selection guidelines) receive anytime or have received a letter of intent for a

Suraj Pratap 02/02/21

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

other "A/CC" site RO dealership or LPG distributorship from our company or any other oil marketing company either in your individual capacity or in partnership with any other individual(s).

b) In case you or any of your family member gets inducted as partner or proprietor in "A/CC" site RO dealership or LPG distributorship of our company or any other oil marketing company.

c) If it is found that you have suppressed and / or misrepresented any material facts in your application.

d) In case you are found to be convicted for any criminal / economic offence involving moral turpitude.

e) In the event of death if you are an individual/partner.

19. In case you are not able to provide the land / develop facilities within the specified time or fail to fulfill the terms & conditions of LOI, then LOI can be withdrawn. In such situations Initial Security Deposit (ISD) would be forfeited.

The Initial Security Deposit (ISD) would also be forfeited if you are unable to submit the total bidding amount within the stipulated time or withdraw for any reason, your selection would be treated as cancelled and LOI withdrawn.

The LOI would also be withdrawn and selection cancelled, if you are unable to submit the Non-refundable fixed fee within the stipulated time. In such situations Initial Security Deposit (ISD) would be forfeited.

20. You will not sell/lease/mortgage the said land to any third party without Bharat Petroleum Corporation Limited permission in writing, so long as the agreement (DPSL) is valid and Bharat Petroleum Corporation Limited facilities continue at the site.

21. In case of termination of / resignation from the dealership, within 3 months of disassociation from Bharat Petroleum Corporation Limited you will execute a lease or will sub lease the land together with structures thereon to the company if the company so desires, for, a period not exceeding 30 years at normal yearly rental (excluding Municipal Taxes) which shall not be more than 10 % of the then prevailing market value of the land and the structures standing thereon.

22. This letter is merely a letter of intent and is not to be construed as a 'firm offer' of dealership to you. The dealership will be allotted to you on your complying with the terms and conditions spelt out herein above by issuance of appointment letter along with signing of our standard dealership agreement between you and us.

23. This allotment would be liable for cancellation in the event of adverse decision in the proceedings (Please specify the proceeding) pending against the dealership/distributorship held by you/member(s) of your family unit (as defined in the

Suraj Pratap

02/02/24

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(68)

Dealership Selection Guidelines) under critical/major irregularities for violation of Marketing Discipline Guidelines/Dealership Agreement, Control Orders or ESMA. You will not be entitled for any claim, damages, etc. in case of cancellation of allotment in such an eventuality. (This clause is applicable for those dealerships/distributorships against whom proceedings are pending as confirmed in the application).

Should you require any further details / guidelines, please get in touch with our office at the address mentioned below:

Territory Manager (Retail), Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Limited
UPSCIDCO Building, TC/46V
5th Floor, Vibhuti Khand
Gomti Nagar,
Lucknow – 226010

Note : You have one time option to offer alternate land meeting all specifications in the advertised location/stretch within 90 days of this LOI provided you have not availed such opportunity of providing alternate land after FVC.

Please acknowledge receipt of this letter.

Thanking you,

Yours faithfully

For Bharat Petroleum Corporation Limited

19/08/20

Territory Manager (Retail), Lucknow

Suraj Pratap 02/02/21

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

Project Site Location Justification Note

Proposed Protected Forest Land to be diverted for Entry/Exit approach to **Bharat Petroleum Corporation Limited** Retail Outlet on Gonda-Balrampur Road, (SH-1A) in **Km No.** 167, (CH. No.-166.925, LHS), at **Gata No. –** 415 & 416, **Village:-** Karmdeeh Belwa, **Tehsil:-** Gonda, **District:-** Gonda (U.P.). Required Protected Forest Land for approach to entry/exit and middle of retail outlet is **0.214959** Hectare. It is minimum required area and there is no alternative of this Protected Forest Land.

Suraj Pratap
02/02/21

(Authorised Signatory)
Bharat Petroleum Corporation Limited
Lucknow Retail Territory
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा (उ0प्र0)

Scanned with CamScanner

(70)

ग्राम कमंडीह बलवा प.तह. व जिला गोण्डा बाबत गाटा सं. 415 व 416

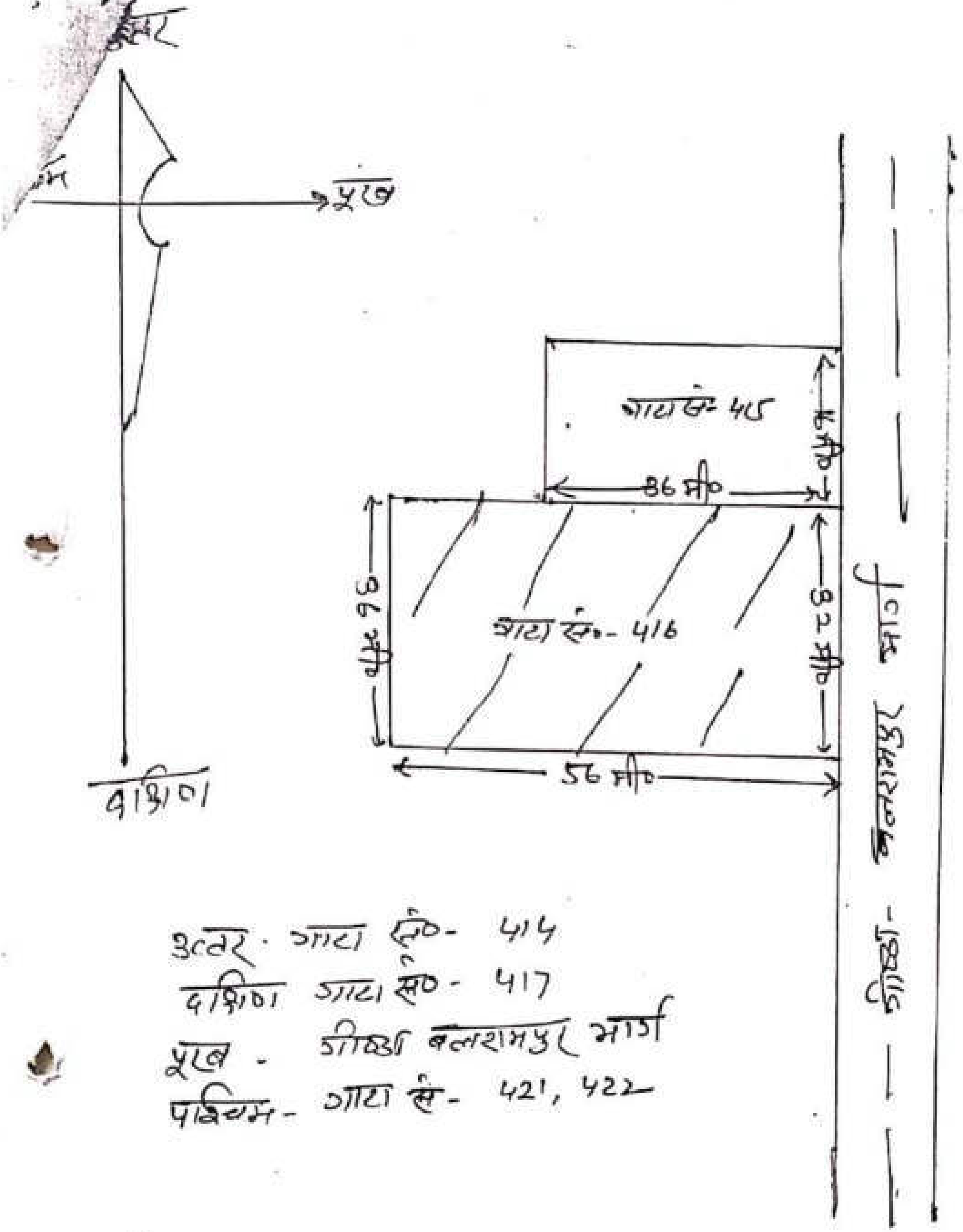

उत्तर - गाटा सं०- 414
दक्षिण गाटा सं०- 417
पूरब - गोण्डा बलरामपुर मार्ग
पश्चिम- गाटा सं- 421, 422

प्रमाणित

28/12/2020

कुमार तिवारी

Scanned with CamScanner

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 1741992020105

ग्राम क्रमांक 174199 ग्राम का नाम / परगना : बर्गदहि बेलवा(गोण्डा) तहसील : गोण्डा जनपद : गोंडा फसली वर्ष : 1422-1427 भाग 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	——————2——————	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।							
00142	मुनीर खाँ / मकसूद खाँ / नि. ग्राम भरिया रवेदपुर	1408क	416	0.1740			
	मुस्तफा खाँ / मकसूद खाँ / नि. ग्राम भरिया रवेदपुर	1408क	415	0.0530			
	नजीर खाँ / मकसूद खाँ / नि. ग्राम भरिया रवेदपुर	1408क	476	0.0810			
	अमीन खाँ / मकसूद खाँ / नि. ग्राम भरिया रवेदपुर	1408क	639	0.1580			
		1408क	422/706	0.0120			
			5	0.4780	₹ 10.80	0	0

कुल गाटे- पाँच कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव चार सात आठ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक शून्य दशमलव आठ शून्य रुपये

Digitally Signed by PALLAV PRAKASH DUBE

उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

उप जिलाधिकारी: PALLAV PRAKASH DUBE
तहसील: गोण्डा जनपद: गोंडा
दिनांक एवं समय: 29-10-2020 12:47:55
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर द्वारा तैयार की गयी है तथा इस पर डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Suraj Prakash
02/02/21

(74)

10/29/2020, 12:17 PM

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 849280

पारिवारिक समझौता (Family Settlement)

यह कि पारिवारिक समझौता आज दिनांक-06.11.2018 ई0 को मुनीर खाँ, मुस्तफा खाँ, नजीर खाँ, अमीन खाँ, पुत्रगण स्व0 मकसूद निवासीगण ग्राम--भरिया लबेदपुर (चमनढ़ार), परगना, तहसील व जनपद-गोण्डा के मध्य भूमि गाटा संख्या-283/0.2750हे0 स्थित ग्राम-भरिया लबेदपुर व गाटा संख्या-416/0.1740हे0, 415/0.0530हे0, 476/0.0810हे0, 639/0.1580हे0 एवं गाटा सं0-422/406/0.012हे0 स्थित ग्राम- करमडीह बेलवा, परगना, तहसील व जिला-गोण्डा के सभी लोग सहखातेदार दर्ज कागजात हैं, लेकिन सभी लोगों का अंश एक साथ होने के कारण कृषि कार्य करने में चक टुकड़ों में होने के कारण असुविधा हो रही है, इसलिए हम सभी सहखातेदारों के द्वारा आपस में प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में बहमी बंटवारा निम्न प्रकार से कर रहे हैं :-

1- यह कि भूमि गाटा संख्या-283/0.2750हे0 स्थित ग्राम भरिया लबेदपुर व गाटा संख्या-476/0.0810हे0, 639/0.1580हे0 सं0-422/406/0.012हे0 स्थित ग्राम-करमडीह बेलवा, परगना, तहसील व जिला-गोण्डा में मुस्तफा खाँ, नजीर खाँ व अमीन खाँ, का ही अंश रहेगा। उक्त गाटे में मुनीर खाँ का अंश नहीं होगा।

02/12/18 Suray Pratap

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

शेष पृष्ठ 02 पर ....

आमिन

(73)

2– यह कि गाटा संख्या–416/0.1740 एवं 415/0.0530हे0 स्थित ग्राम–करमडीह बेलवा, परगना, तहसील व जिला–गोण्डा की भूमि अकेले मुनीर खाँ को मिलेगी, जिसमें मुस्तफा खाँ, नजीर खाँ व अमीन खाँ का कोई अंश नहीं होगा। उक्त के एवज में अन्य गाटाओं में मुनीर खाँ के अंश की भूमि मुस्तफा खाँ, नजीर खाँ व अमीन खाँ, को दी जा चुकी है।

3– यह कि यह पारिवारिक समझौता उभयपक्षकारों व उनके वारिसानों पर सदैव प्रभावी रहेगी और उक्त अंश के आधार पर ही बंटवारा स्वीकार है एवं भविष्य में भी पक्षकारों को मान्य होगी।

4– यह कि यह पारिवारिक समझौता कुर्रा चिट्ठा के अनुरूप बतौर कब्जा प्रमाणित किया जाता है, जिसके आधार पर नक्शे में आकृति को तसलीम किया जा सकता है।

यह कि उक्त पारिवारिक समझौता सभी पक्षों ने आपसी सलाह मशविरा काफी सोच समझकर एक दूसरे के पक्ष में लिख दिया है ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे। आज दिनांक–06.11.2018ई0

Govt. of Uttar Pradesh

Suraj Pratap
02/02/21
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

मुनीर खाँ

– مصطفیٰ خان

– आमिन

Solemnly Affirmed
&
Declared before me
....Gonda....
Vishwa Nath Gupta
Notary Collectrate Gonda

Scanned with CamScanner

(74)

"LAND SUITABILITY CERTIFICATE"

This is to certify that the forest land of DHONGHI BEAT CN. No-6 The Area of 0.44 Hec, in KUWANA RANGE, Gonda Forest Division, has been identified for compensatory Afforestation, it is suitable for plantation from management point of view and is free and all sorts of encumbrances and encroachments.

Place:
Date:

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

Divisional Forest Officer
Forest Division Gonda

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा (उ0प्र0)

vfc844

Scanned with CamScanner

तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय (75)
Regional Office

फोन एवं फैक्स : 05278-245411
Tele & Fax : 05278-245411
Email- rofaizabad@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

Ref. No. : 918/ पेट्रोल पम्प स्थापना/2020

दिनांक / Dated : 3-12-2020

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
जनपद गोण्डा

विषय- मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० (रिटेल आउटलेट), ग्राम ,कर्मडीह वेलवा तहसील व जनपद गोण्डा की गाटा संख्या-415 व 416 पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आख्या के संबंध में |

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 29/जे०ए०(अना.)/2020 दिनांक 31-10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रस्तावित मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० (रिटेल आउटलेट), ग्राम, कर्मडीह वेलवा तहसील व जनपद गोण्डा के गाटा संख्या-415 व 416 पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प क्षमता 1×15 KL MS एवं 1×20 KL HSD पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में इस कार्यालय से अनापत्ति आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है | उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान में रिटेल आउट पेट्रोल पम्प की स्थापना संबंधी बोर्ड द्वारा कोई मार्गदर्शिका (गाइडलाइन) निर्धारित नही है | प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प द्वारा प्रेषित अभिलेखों, ले-आउट प्लान, शपथ-पत्र आदि के परीक्षणोंपरान्त प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोलपम्प स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने समय निम्नलिखित शर्तो को आरोपित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है-

1- प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाये कि आसपास की आवादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े |

2- पेट्रोलपम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू-भाग पर वृक्षारोपण किया जाये |

3- पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान-माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में वचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निशमन विभाग के गाइडलाइन के अनुसार स्थापित किया जाये तथा आसपास आवादी विकसित होने पर रोक लगायी जाये |

4- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये |

5- घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले वहिस्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाये |

6- पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये |

Suraj Pratap 02/02/21

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation

........2

Scanned with CamScanner

(76)

7- पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये |

8- पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्ड्स वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग एण्ड ट्रांस बाउण्ड्री मूवमेन्ट्स), नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा मैनुफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्ड्स केमिकल रूल्स, 1989 पब्लिक लाइबिलिटी इन्श्योरेन्स एक्ट, 1991 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2002 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये |

9- पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 1×15 KL MS एवं 1×20 KL HSD के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये |

10- प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये |

11- पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इण्डीकेटर लगाया जाये |

12- डी.जी. सेट के अतिरिक्त वायु प्रदूषण का कोई अन्य स्रोत प्रस्तावित स्थल पर स्थापित न किया जाये |

13- पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू-प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को 03 माह के भीतर प्रेषित किया जाये |

14- पेट्रोल पम्प द्वारा सभी संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक ऑन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर 6 माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये |

15- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाये |

16- पेट्रोल पम्प वाहनों की पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि राजमार्ग का सामान यातायात बाधित न हो |

Suraj Pratap

02/02/21 भवदीय

Territory Manager (Retail)-Lucknow (ओम प्रकाश)
Bharat Petroleum Corporation Ltd. क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with CamScanner

(17)

<u>रोजगार सृजन का प्रमाण पत्र</u>

प्रस्तावित परियोजना **भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0** द्वारा **गोण्डा–बलरामपुर** रोड, **(एस0एच0–1ए)** के **किमी0 सं0**–167, **(चैनेज सं0**–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, **गाटा सं0**–415 व 416, **ग्राम**–करमडीह बेलवा, **तहसील**–गोण्डा, **जिला**–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित परियोजना में स्थायी रोजगार 5 व अस्थायी रोजगार 700 श्रमिक दिवस रोजगार सृजित होगा।

अजय सी0 रूगे / Ajay C Ruge
क्षेत्रीय प्रबंधक / Territory Manager (Retail) Gonda
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड Bharat Petroleum Corporation Limited

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
गोण्डा रिटेल टैरीटॅरी

Scanned with CamScanner

(78)

<u>न्यूनतम वृक्ष पातन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि **भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0** द्वारा वन प्रभाग, **गोण्डा** के अन्तर्गत **गोण्डा–बलरामपुर** रोड, **(एस0एच0–1**ए) के **किमी0 सं0**–167, **(चैनेज सं**0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, **गाटा सं0**–415 व 416, **ग्राम**–करमडीह बेलवा, **तहसील**–गोण्डा, **जिला**–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में **भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0** द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल के सम्पर्क मार्ग निर्माण में संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित प्रवेश व निकास मार्ग निर्माण में वृक्षों के कम से कम पातन की वचनबद्धता दी जाती है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा (उ0प्र0)

अजय सी0 रूगे / Ajay C Ruge
Territory Manager (Retail) Gonda
Bharat Petroleum Corporation Limited

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
गोण्डा रिटेल टैरीटैरी

Scanned with CamScanner

बी0पी0सी0एल0 लखनऊ द्वारा जनपद गोण्डा में गोण्डा–बलरामपुर मार्ग एस0एच0–1ए के कि0मी0–167 (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर गाटा सं0–415 व 416 ग्राम करमडीह बेलवा तहसील व जिला गोण्डा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के आवागमन में कुल 0.214959 हे0 संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष कुआना रैंज के ढोगही क0सं0–6 के वन ब्लाक में वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय 10 वर्षो के अनुरक्षण सहितः–

रैन्ज का नाम	–	कुआना रैंज
रोपण क्षेत्र का नाम	–	ढोगही क0स0–6 (इटियाथोक)
क्षेत्रफल	–	0.214959 × 2 = 0.429918 अर्थात 0.43 हे0
श्रमिक दिवस	–	230 प्रति मानव दिवस
भूमि का प्रकार	–	सामान्य
रोपित किए जाने वाले कुल पौधों की सं0	—	430

प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य

क0सं0	कार्यमद	मात्रा/संख्या	दर	धनराशि
1	सर्वेक्षण व सीमांकन	0.43	48.71	20.94
2	रोपण क्षेत्र की सफाई सघन क्षेत्र/घनी झाड़ी कटान	0.43	356.33	153.22
3	गढ्ढों का पंक्तिबंधन	430	0.31	133.30
4	गढ्ढों का खुदान 0.60 X 0.60 X 0.60	430	17.40	7482.00
5	आर0सी0सी0 खम्भा का मूल्य	105	440.00	46200.00
6	कांटेदार तार का मूल्य	0.60	84892.50	50935.00
7	अन्य व्यय	L.S.	2000.00	2000.00
	योग–			1,06,927.46

द्वितीय चरण वृक्षारोपणकार्य

क0सं0	कार्यमद	मात्रा/संख्या	दर	धनराशि
1	गढ्ढों का भरान	430	1.04	447.20
2	गडढों में कीटनाशक दवा मिलाने का मूल्य	430	0.13	55.90
3	गडढो में मृदा सुधारक/गोबर खाद का प्रयोग	430	9.92	4265.60
4	पौध कीमत 8 से 12 फीट तक ऊँची पौध 3 प्रतिशत अतिरिक्त	443	70.00	31010.00
5	पौध ढुलान	443	14.40	7708.20
6	पौध का स्थानीय ढुलान	430	5.91	2541.30
7	पौध रोपण थाला बनवायी व तत्काल सिंचाई सहित	430	4.87	2094.10
8	निराई गुडाई व मलचिग कार्य 2 बार	860	1.12	963.20
9	सिंचाई कार्य नवम्बर से मार्च तक 9 बार	3870	2.88	11145.60
10	आर0सी0सी0 खम्बो की ग्राउन्डिग 100 अदद	105	196.00	20580.00
11	खम्बो का स्थानीय दुलान	105	3.28	344.40
12	तार की खिचाई	1050 मीटर	0.85	892.50
13	रासायनिक उर्वरक का मूल्य	0.43	600.00	258.00
14	सुरक्षा हेतु श्रमिक	30	230.00	6900.00
15	वृक्षारोपण बोर्ड 1 अदद	1	3000.00	3000.00
16	अन्य व्यय	L.S	2000.00	2000.00
	योग–			94,206.00

तृतीय चरण प्रथम अनुरक्षण कार्य

क0सं0	कार्यमद	मात्रा/संख्या	दर	धनराशि
1	सिचाई कार्य अप्रैल से मार्च तक 12 बार	5160	2.88	14860.80
2	निराई गुडाई 3 बार	1290	1.12	1444.80
3	रासायनिक खाद एवं उर्वक	430	3.00	1290.00
4	सुरक्षा हेतु श्रमिक	73	230.00	16790.00
5	अन्य व्यय	L.S.	2000.00	2000.00
	योग			36,384.80

चतुर्थ चरण द्वितीय अनुरक्षण कार्य

क0सं0	कार्यमद	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	सिंचाई कार्य 6 बार	2580	2.88	7430.40
2	पौधों की निराई गुड़ाई 1 बार	430	1.12	481.60
3	सुरक्षा हेतु श्रमिक	73	230.00	16790.00
4	अन्य व्यय	L.S	2000.00	2000.00
	योग			26,702.00

पांचवा चरण तृतीय अनुरक्षण कार्य

क0सं0	कार्यमद	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	सिंचाई कार्य 6 बार	2580	2.88	7430.40
2	पौधों की निराई गुड़ाई 1 बार	430	1.12	481.60
3	सुरक्षा हेतु श्रमिक	73	230.00	16790.00
4	अन्य व्यय	L.S	2000.00	2000.00
	कुल योग			26,702.00

छठवां चरण चतुर्थ अनुरक्षण कार्य

क0सं0	कार्यमद	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	सिंचाई कार्य 6 बार	2580	2.88	7430.40
2	पौधों की निराई गुड़ाई 1 बार	430	1.12	481.60
3	सुरक्षा हेतु श्रमिक	73	230.00	16790.00
4	अन्य व्यय	L.S	2000.00	2000.00
	योग			26,702.00

सातवां चरण पंचम अनुरक्षण कार्य

क0सं0	कार्यमद	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	सिंचाई कार्य 6 बार	2580	2.88	7430.40
2	पौधों की निराई गुड़ाई 1 बार	430	1.12	481.60
3	सुरक्षा हेतु श्रमिक	73	230.00	16790.00
4	अन्य व्यय	L.S	2000.00	2000.00
	योग			26,702.00

आठवां चरण छठवा अनुरक्षण कार्य

क0सं0	कार्यमद	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	सिंचाई कार्य 6 बार	2580	2.88	7430.40
2	पौधों की निराई गुड़ाई 1 बार	430	1.12	481.60
3	सुरक्षा हेतु श्रमिक	73	230.00	16790.00
4	अन्य व्यय	L.S	2000.00	2000.00
	योग			26,702.00

नवां चरण सातवां अनुरक्षण कार्य

क0सं0	कार्यमद	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	सिंचाई कार्य 6 बार	2580	2.88	7430.40
2	पौधों की निराई गुड़ाई 1 बार	430	1.12	481.60
3	सुरक्षा हेतु श्रमिक	73	230.00	16790.00
4	अन्य व्यय	L.S	2000.00	2000.00
	योग			26,702.00

दसवां चरण आठवां अनुरक्षण कार्य

क0सं0	कार्यमद	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	सिंचाई कार्य 6 बार	2580	2.88	7430.40
2	पौधों की निराई गुड़ाई 1 बार	430	1.12	481.60
3	सुरक्षा हेतु श्रमिक	73	230.00	16790.00
4	अन्य व्यय	L.S	2000.00	2000.00
	योग			26,702.00

ग्यारहवां चरण नवां अनुरक्षण कार्य

क0सं0	कार्यमद	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	सिंचाई कार्य 6 बार	2580	2.88	7430.40
2	पौधों की निराई गुड़ाई 1 बार	430	1.12	481.60
3	सुरक्षा हेतु श्रमिक	73	230.00	16790.00
4	अन्य व्यय	L.S	2000.00	2000.00
	योग			26,702.00

बारहवां चरण दसवां अनुरक्षण कार्य

क0सं0	कार्यमद	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	सिंचाई कार्य 6 बार	2580	2.88	7430.40
2	पौधों की निराई गुड़ाई 1 बार	430	1.12	481.60
3	सुरक्षा हेतु श्रमिक	73	230.00	16790.00
4	अन्य व्यय	L.S	2000.00	2000.00

	योग			26,702.00

सारांश

क्रम सं0	चरण	वर्तमान दर के अनुसार वांछित धनराशि	10% महगाई दर के आधार पर गुणांक	प्रयोक्ता एजेंसी से वांछित धनराशि (कालम 3×4)
1	2	3	4	5
1.	प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य	106927.46	1	106927.46
2	वृक्षारोपण कार्य द्वितीय चरण	94,206.00	1.1	103626.60
3	तृतीय चरण प्रथम अनुरक्षण	36,384.80	1.21	44025.61
4.	चतुर्थ चरण द्वितीय अनुरक्षण	26,702.00	1.331	35540.36
5.	पांचवा चरण तृतीय अनुरक्षण	26,702.00	1.4641	39094.39
6.	छंठवा चरण चतुर्थ अनुरक्षण	26,702.00	1.6105	43003.57
7.	सातवा चरण पांचवा अनुरक्षण	26,702.00	1.7716	47305.26
8.	आठवां चरण छठा अनुरक्षण	26,702.00	1.9488	52036.85
9.	नवां चरण सातवा अनुरक्षण	26,702.00	2.1437	57241.07
10.	दसवां चरण आठवां अनुरक्षण	26,702.00	2.3581	62965.98
11.	ग्यारहवां चरण नवां अनुरक्षण	26,702.00	2.5939	69262.31
12.	बारहवां चरण दसवा अनुरक्षण	26,702.00	2.8533	76188.81
	कुल योग			7,37,218.27
	अर्थात			7,37,218.00

कुल योग– **सात लाख सैंतीस हजार दो सौ अठारह रूपये मात्र**

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा (उ0प्र0)

GEOREFERENCED MAP OF PROPOSED RESERVED FOREST LAND FOR COMPENSATORY AFFORESTATION (CA) PLANTATION IN FOREST BLOCK: DHONGI, FOREST RANGE: KUANA, FOREST DIVISION: GONDA, DISTRICT: GONDA, AGAINST PROPOSED ROTECTED FOREST LAND TO BE DIVERTED FOR ENTRY/EXIT APPROACH TO BPCL RETAIL OUTLET ON GONDA-BALRAMPUR ROAD, (SH-1A) IN KM NO. 167, (CH. NO.- 166.925, LHS), AT GATA NO. – 415 & 416, VILLAGE: - KARMDEEH BELWA, TEHSIL: - GONDA, DISTRICT: - GONDA (U.P.)

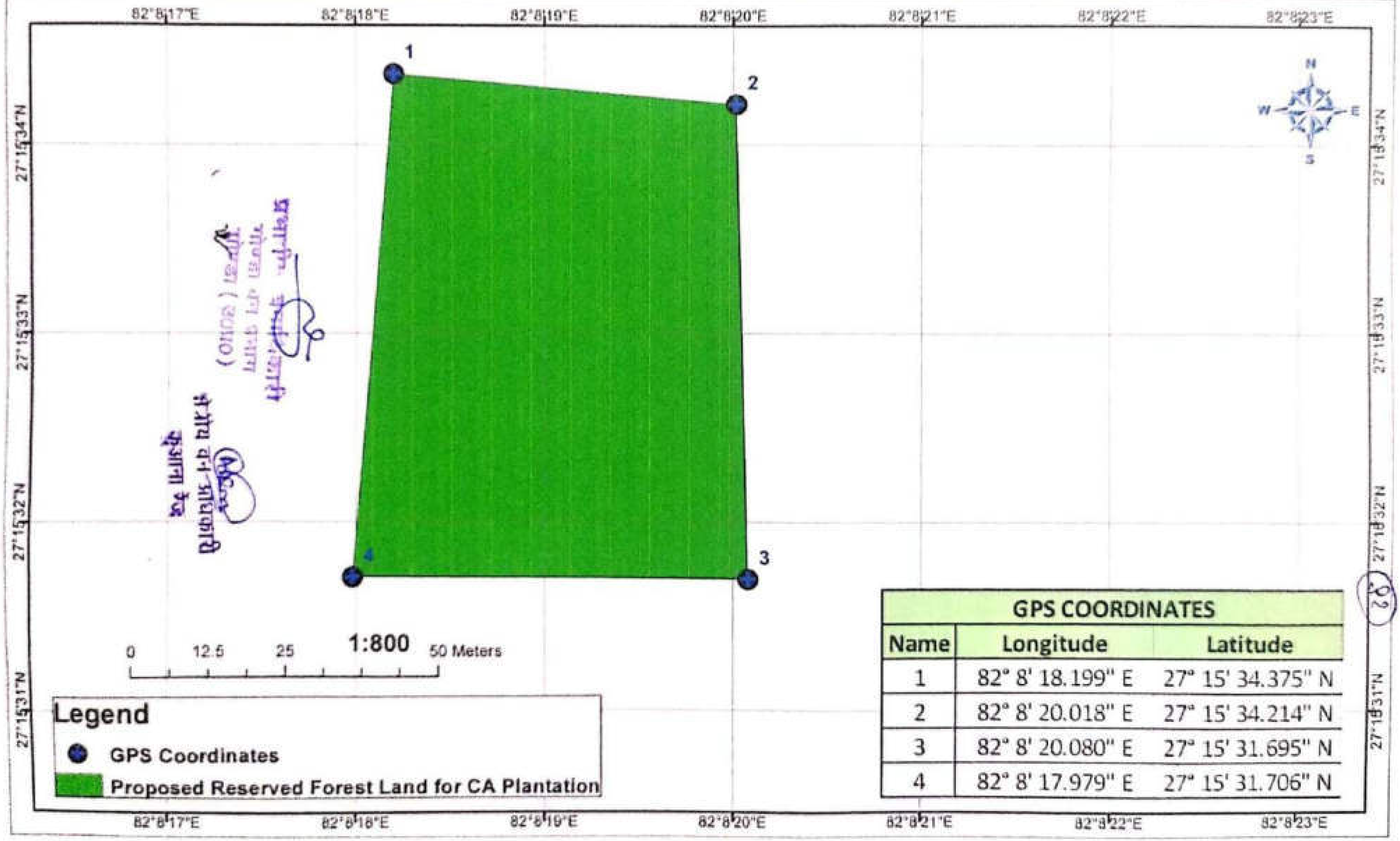

GPS COORDINATES		
Name	Longitude	Latitude
1	82° 8' 18.199" E	27° 15' 34.375" N
2	82° 8' 20.018" E	27° 15' 34.214" N
3	82° 8' 20.080" E	27° 15' 31.695" N
4	82° 8' 17.979" E	27° 15' 31.706" N

Scanned with CamScanner

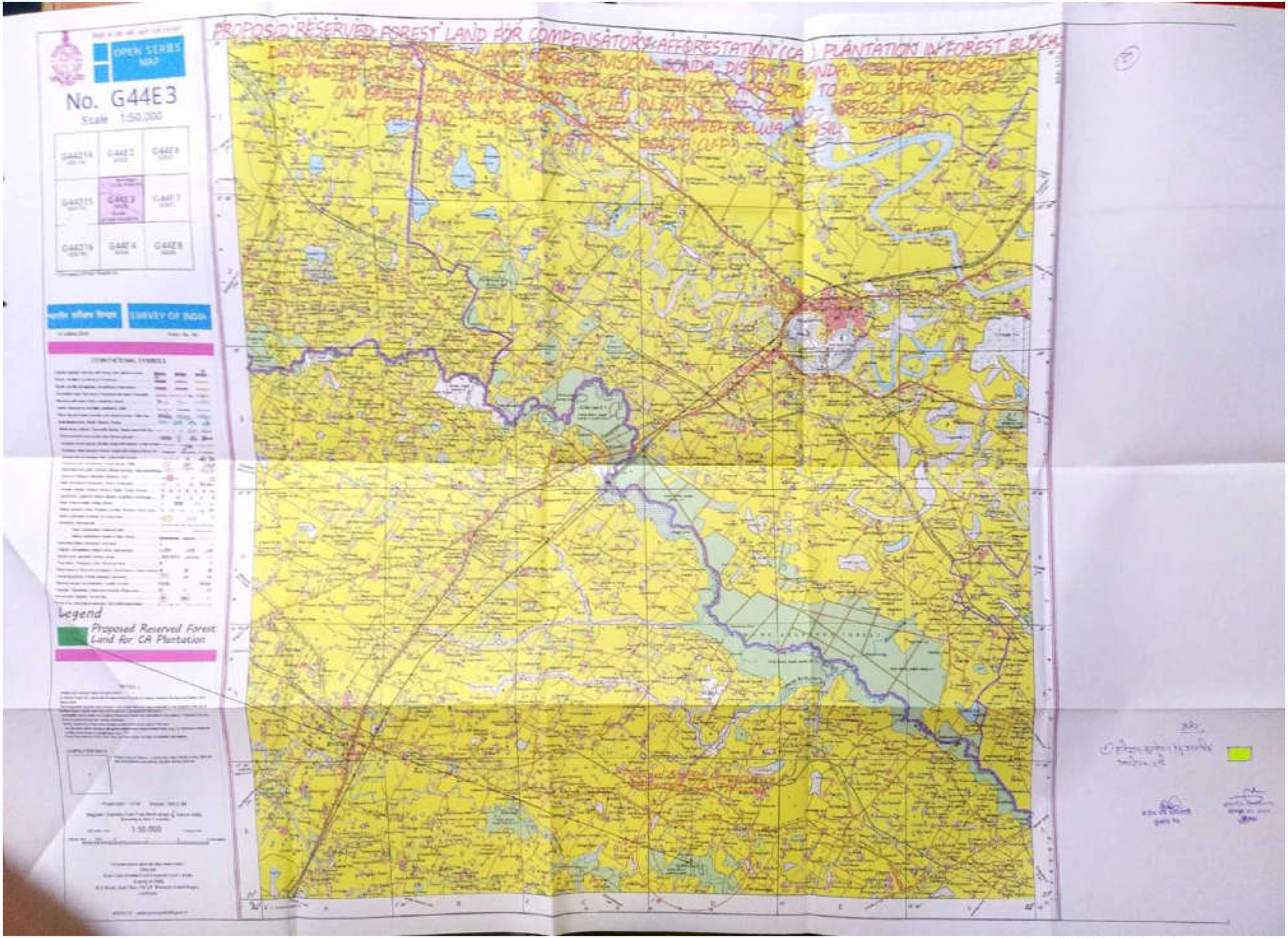

Scanned with CamScanner

(८४)

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक एफ0नं0–11–268/2014 एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 की बिन्दुवार आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि–

1. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.214959 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकासी मार्ग के मध्य से बफर स्ट्रिप की दूरी 17.86 मी0 है तथा सम्पर्क मार्गों तथा सेपरेटर आईलेण्ड का क्षेत्रफल 0.214959 हे0 है जो निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा के द्वारा अनुमोदित है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एवं हाईवे के द्वारा दी गयी गाइडलाइन्स के अनुरूप हैं तथा यह मार्ग निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा के अधीन है ।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा गोण्डा–बलरामपुर रोड, (एस0एच0–1ए) के किमी0 सं0–167, (चैनेज सं0–166.925) के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा सं0–415 व 416, ग्राम–करमडीह बेलवा, तहसील–गोण्डा, जिला–गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल पर कोई वृक्षों का पातन नही किया गया है।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर पार्किंग, शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें रेस्टोरेन्ट, दुकान आदि का प्राविधान नहीं किया गया है।
4. मार्ग का निर्माण या चौडीकरण हेतु प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रकिया में है।
5. साइन बोर्ड स्थापित करते समय पटरी वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।
6. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प की दीवार से 1 से 1.5 मी0 के मध्य वृक्षारोपण किया जायेगा।
7. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के पश्चात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा (CAMPA) मद में जमा की गयी धनराशि से प्रतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय निदेशक
वन प्रभाग, गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुआना रेंज

Suraj Pratap
02.2.21
(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(85)

<u>कार्यालय वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक संख्या–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 का</u>

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली–भॉति परीक्षण कर लिया गया है। तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों नियमों व दिशा–निर्देशों के अनुरुप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई तथ्य छुपाया नही गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Suraj Pratap
02/02/21

प्रभागीय निदेशक
वन प्रभाग, गोण्डा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मनकापुर रेंज

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
देवीपाटन वृत्त गोण्डा

वन संरक्षक
देवीपाटन वृत्त गोण्डा

Scanned with CamScanner

(86)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

NOTARIAL

NOTARY M.H. CHOWDHARY Reg. No. 1055 MUMBAI GOVT. OF INDIA

महाराष्ट्र MAHARASHTRA AX 044737

मुद्रांक कार्यालय, मुंबई

-3 SEP 2020

सक्षम अधिकारी

श्री. दि. क. गवई

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, I, **ARUN KUMAR SINGH** of Mumbai SEND GREETINGS :

WHEREAS by a Power of Attorney (a copy whereof is hereto annexed and marked "A"), BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED (hereinafter called "the Company") appointed me under its Common Seal an Attorney of the Company for and in the name and on behalf of the Company to do or execute all or any of the acts and things therein mentioned in connection with the business carried on by the Company in India, including the power from time to time to appoint and remove at pleasure any substitute or substitutes as Attorney or Attorneys under me in respect of all or any of the matters therein aforesaid.

AND WHEREAS the said Power of Attorney is still in full force and unrevoked.

..2/.

Suraj Pratap 02/02/21

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(87)

NOW KNOW YE AND THESE PRESENTS WITNESS AS FOLLOWS:-

By virtue of and in exercise of the aforesaid power given to me, I the said **ARUN KUMAR SINGH** do hereby nominate, constitute and appoint **SURAJ PRATAP** (Staff No. 9355) son of Shri Rameshwar Prasad hereinafter referred to as "the said Attorney") to be a true and lawful attorney of the Company for and in the name of the Company or in my name to do and perform within the said area all and any of the following acts, matters and things that is to say :-

1. From time to time to appoint, remove agents, sub-agents, distributors and contractors at such places and upon such terms as the said Attorney may think proper.

2. From time to time to purchase, take on lease or otherwise acquire and hold any houses, offices, buildings, lands; way leave or other hereditaments, premises, chattels, effects, rights, concessions, patents or other movable or immovable property whatsoever and to manage, to superintend the management of all properties, estates and hereditaments of whatever tenure of or to which the Company is or shall become seized, possessed or entitled and to execute any works required by any public or local authority or to repair, alter or improve upon any such property.

3. To sign orders for delivery of securities, goods or effects, bills of lading or other negotiable or mercantile instruments and to sell, endorse, transfer or otherwise deal with securities of the Central or any State Government or other local authority in India.

4. To demand, sue for, enforce payment of, receive, remit and give effectual receipts and discharges for all interest, dividends, moneys, securities for money, debts, goods, chattels and personal estate of or to which the Company is now or may hereafter become possessed or entitled or which is or may become due, owing, payable or transferable to the Company from any person or persons or Corporation or the Central or any State Government or other local authority in India.

5. To institute, prosecute, enforce, defend, answer or oppose all actions and other legal proceedings and demands touching any of the matters aforesaid or any

Suraj Pratap 02/02/21

Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

88

other matters in which the Company is now or may hereafter be interested or concerned and also to refer to arbitration, submit to judgment or become non-suited in any such action or proceedings as aforesaid and for such purpose to appear before any Judges, Magistrates, Consuls or other Officers in any Court or Consulate.

6. To execute, sign, enter into, acknowledge perfect and do all such deeds, assurances, guarantees, agreements, instruments, contracts and receipts and all other acts and things as shall be requisite in relation to all or any of the purposes or matters aforesaid, including all such further acts and things as may be deemed expedient for recording, registering or otherwise completing and giving validity thereto.

7. To concur in doing any of the acts and things hereinabove mentioned in conjunction with any other person or persons interested in the premises.

AND I for myself and for the Company do hereby ratify and confirm and agree at all times hereafter to ratify and confirm all and whatsoever the said Attorney shall lawfully do or cause to be done in or about the premises by virtue of these presents, including in such ratification and confirmation all and whatsoever shall be done between the time of revocation by any means of this Power of Attorney and the time of such revocation becoming known to the said Attorney.

AND that this Power of Attorney shall automatically stand revoked and cancelled in the event the said Attorney ceases to be an employee of the company due to retirement, resignation, termination or for any other reason whatsoever.

IN WITNESS WHEREOF I have hereunto set my hand and seal this ____ day of ______ 2020, at Mumbai.

SIGNED SEALED AND DELIVERED	)(	for and on behalf of
	)(	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED
by the above named	)(	
Arun Kumar Singh	)(	
	)(	
in the presence of :	)(	Constituted Attorney

SURAJ PRATAP
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

BEFORE ME

M. H. CHOWDHARY
PUBLIC NOTARY
(GOVT. OF INDIA)
21 SEP 2020

NOTARY
M.H. CHOWDHARY
Reg. No. 8958
MUMBAI
GOVT. OF INDIA

REGISTERED VIDE
Sr. No. 221
Page No. 23
Date 21 SEP 2020
OF NOTARY REGISTER

Suraj Pratap
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Scanned with CamScanner

(89)

प्रमाण पत्र

मैं प्रतिपूरक वनीकरण तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण के लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु जो शर्ते भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लगाई जायेगी मैं उसका अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

Swaraj Prakash 02/02/21

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि०
लखनऊ रिटेल टैरीटॅरी
Territory Manager (Retail)-Lucknow
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा

Scanned with CamScanner

(९२)

एन0पी0वी0मूल्य का आकलन

प्रभावित वन भूमि (हे0में)	भारत सरकार पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन भवन अलीगंज जोरबाग रोड नई दिल्ली के पत्रांक–5–3/2011–एफ0सी0 (बी0ओ0एल0–1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार दर	भूमि का मूल्य
0.214959	भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुसार खुले वन के लिए ईकोक्लास तृतीय श्रेणी के आधार पर 9.57780 लाख प्रति हे0 के दर से आंकलित	0.214959 हे0 ×9,57,780=2,05,884.00 (रू0 दो लाख पॉच हजार आठ सौ चौरासी रूपये मात्र)

नोटः– उपरोक्त दरें इस कार्यालय में उपलब्ध भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुसार आंकलित है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा (उ0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner